कमल संदेश

ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDI : +91(11) 23387887
पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय-सूची

रैलियां

परिवर्तन रैली, भागलपुर (बिहार)........ 7
गति-प्रगति रैली, फरीदाबाद हरियाणा........ 10

संगठनात्मक गतिविधियां

पुडुचेरी प्रवास........ 11
बेंगलुरु नगर निगम चुनाव में भाजपा की जीत........ 12

सरकार की उपलब्धियां

सरकार ने की 'एक रैंक एक पेंशन' योजना की घोषणा........ 13
ऑन-लाइन मिलेगा नए रसोई गैस का कनेक्शन........ 15

वैचारिकी :

संस्मरण – दीनदयाल जयंती (25 सितंबर) पर विशेष........ 16

श्रद्धांजलि

पं. दीनदयाल उपाध्याय : सम्पूर्ण देश उनका घर था........ 18

लेख

भूमि अध्यादेश : स्वाभाविक जवाब
– **अरुण जेटली**........ 20
सेवा का सही सम्मान
– **राजीव चंद्रशेखर**........ 22
व्यष्टि व समष्टि और एकात्म मानववाद
– **डॉ. विजेन्द्र सिंह गुप्त**........ 25

अन्य

मुद्दा: 'वन रैंक, वन पेंशन'........ 19
प्रधानमंत्री की शिक्षक दिवस की पूर्व-संध्या पर स्कूली बच्चों से बातचीत. 24
मन की बात........ 27
सरकार ने की 98 स्मार्ट सिटी के नामों की घोषणा........ 28
पूर्णता की ओर बढ़ रही है प्रधानमंत्री जन धन योजना........ 30

शत्-शत् नमन !

पं. दीनदयाल उपाध्याय

जयंती

25 सितंबर

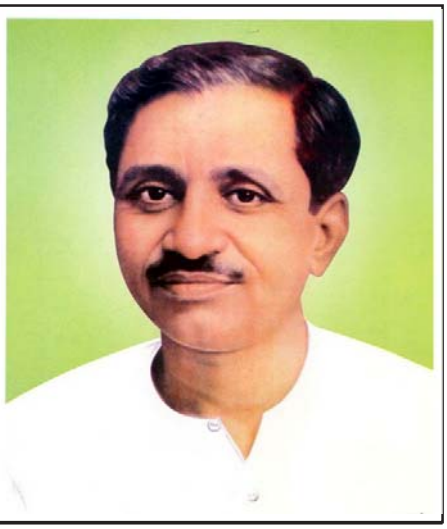

महात्मा बुद्ध के इस उपाय को आजमाएं हर मुश्किल हो जाएगी आसान

बुद्ध उस दिन अपने हाथ में वस्त्र का एक टुकड़ा (वसन) लेकर आए। वहां उपस्थित भिक्षु देखकर समझ गए कि इसका कुछ विशेष प्रयोजन होगा। बुद्ध अपने आसन पर विराजे। उन्होंने वसन में कुछ दूरी पर पांच गांठें लगा दीं।

बुद्ध ने भिक्षुओं से पूछा, कोई बता सकता है कि क्या यह वही वसन है, जो गांठें लगने के पहले था?

सारिपुत्र ने कहा, एक तरह से देखें, तो वसन वही है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरी दृष्टि से देखें, तो पहले इसमें पांच गांठें नहीं लगी थीं, अतः यह पहले जैसा नहीं रहा। और जहां तक इसकी मूल प्रकृति का प्रश्न है, तो वह यथावत है। इस वसन का केवल बाह्य रूप ही बदला है, पदार्थ और मात्रा वही है।

तुम सही कहते हो, सारिपुत्र, बुद्ध ने कहा, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं, यह कहकर बुद्ध वसन के दोनों सिरों को एक-दूसरे से दूर खींचने लगे। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, सारिपुत्र, इस प्रकार खींचने पर क्या मैं इन गांठों को खोल पाऊंगा? नहीं, तथागत। इस प्रकार तो आप इन गांठों को और अधिक कस देंगे, सारिपुत्र ने कहा। इस पर बुद्ध बोले, तो फिर इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?

सारिपुत्र ने कहा, इसके लिए पहले यह देखना होगा कि ये गांठें कैसे लगाई गई हैं। यह जाने बिना इन्हें खोलने का उपाय नहीं बताया जा सकता। इस पर बुद्ध ने कहा, तुम सत्य कहते हो, सारिपुत्र। यही जानना सबसे आवश्यक है। जिस समस्या से बाहर निकलना है, उसके बारे में जानना जरूरी है कि उससे ग्रस्त कैसे हुए? यह नहीं जानने पर संकट गहराएगा ही। लोग पूछते हैं, हम दुर्गुणों और कठिनाइयों से बाहर कैसे निकलें, पर वे यह नहीं देखते कि उन वृत्तियों में वे कैसे पड़े?

संकलनः राधा नाचीज

(नवभारत टाइम्स से साभार)

पाथेय

राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने की शर्तें

राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए दो शर्तें हमारे सामने पूर्ण करने के लिए हैं, तब ही वह वैभव, राष्ट्र का सच्चा वैभव सिद्ध होगा। पहली बात है कि यह वैभव हमारे अपने पुरुषार्थ से प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए संपूर्ण राष्ट्र की संगठित कार्य शक्ति होना जरूरी है। यह शर्त पूरी होगी तो ही उस वैभव को हम भारत का सच्चा वैभव कह सकेंगे। साथ ही, दूसरी बात कही गई है कि संगठित कार्य शक्ति के द्वारा वैभव प्राप्त करने की यह सफलता धर्म का संरक्षण करते हुए होना चाहिए। केवल संगठित शक्ति ही पर्याप्त नहीं है। चार चोर भी आपस में मजबूत संगठन बना सकते हैं, किंतु वह संगठन न तो स्थायी होगा और न ही कल्याणकारी। इसलिए यह जरूरी है कि धर्म का संरक्षण करते हुए 'संहता' याने हमारी संगठित कार्यशक्ति 'विजेत्री' याने विजयशालिनी हो।

- पं. दीनदयाल उपाध्याय

सम्पादकीय

पूरा हुआ 'वन रैंक वन पेंशन' का वादा!

जैसे ही भाजपानीत राजग सरकार ने 'वन रैंक–वन पेंशन' लागू करने का निर्णय लिया पूरे देश में इसका स्वागत होने लगा। लोग इस कदम का पूरे उत्साह से स्वागत कर रहे हैं, तथा इसे सुरक्षा बलों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता के रूप में देखा जा रहा है। लोक सभा चुनावों से पूर्व नरेन्द्र मोदी ने इसे लागू करने का वायदा किया था और अब जबकि यह वायदा उन्होंने पूरा कर दिया है। यह उनकी सरकार की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यह सरकार की गंभीरता को दर्शाता है जो अपने सभी वायदों को पूरा करने का संकल्पबद्ध है और जटिल से जटिल समस्याओं में से रास्ता निकाल कर सुशासन एवं विकास की नई गाथा लिख रही है। इस कदम से पूरे देश में एक बहुत ही सकारात्मक संदेश गया है जिससे लोगों के मन में सरकार के प्रति विश्वास और अधिक दृढ़ हुआ है। जब सरकार 'वन रैंक, वन पेंशन' से जुड़े जटिलताओं को सुलझा रही थी तब लालकिले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा था कि सिद्धांतत: सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है और देश को जल्द ही सुखद समाचार सुनने को मिलेगा। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था इस प्रश्न पर सबके हितों का ध्यान रखते हुए सरकार ने एक व्यापक रूप से स्वीकार्य निर्णय लिया, जो प्रशंसनीय है।

'वन रैंक, वन पेंशन' के लिए सुरक्षा बलों को 40 से भी अधिक वर्षों का लम्बा इंतजार करना पड़ा। यह मांग सुरक्षा बलों के कड़ी सेवा शर्तों एवं असाधारण परिस्थितियों, जिनमें वे राष्ट्र की सेवा करते हैं, को ध्यान में रखकर किया गया था। भाजपा एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उनके कड़े सेवा नियमों एवं विकट सेवा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इस मांग को उठाया गया था। कांग्रेसनीत यूपीए सरकार ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और चुनाव से ठीक पहले 500 करोड़ रुपए का झुनझुना पकड़ा कर राजनैतिक फायदा उठाने की कोशिश की। अपने छह दशकों से भी अधिक के शासन में कांग्रेस ने कभी इस प्रश्न को सुलझाने की कोशिश नहीं की। जब भाजपा नीत राजग सरकार इस जटिल विषय का समाधान खोज रही थी, कांग्रेस ने इसके राजनीतिकरण की कोशिश की, पर वह अपनी ही अवसरवादी खेल में मात खा गई। कांग्रेस को इस पूरे प्रकरण से सबक सीखना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि दूसरों पर कीचड़ उछालकर या सस्ती लोकप्रियता के लिए नाटक कर वह अपना भाग्य नहीं बदल सकती। इसकी विश्वसनीयता दिनोंदिन गिरती जा रही है और यदि अब भी वह इस बात को नहीं समझ पा रही है तो जल्द ही वह अतीत की बात बन जाएगी।

पूरा देश इस घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। यह घोषणा असल में सुरक्षा बलों एवं उनकी विधवाओं की प्रतिबद्धता एवं साहस को प्रणाम है। परन्तु यह घोषणा उतनी आसान नहीं थी क्योंकि यह कई स्तरों के सुरक्षा बलों के हितों की जटिलताओं में उलझा हुआ था। लेकिन सरकार की कड़ी मेहनत एवं प्रतिबद्धता के कारण इस प्रश्न को सुलझाने में सफलता प्राप्त हुई है। सरकार ने एक सदस्यीय न्यायिक आयोग भी गठित किया है ताकि इस पर विभिन्न विषयों पर संवाद कर इसे और बेहतर बनाया जा सके। सरकार ने इस घोषणा से इस पूरी

प्रक्रिया को तीव्रता से न केवल आगे बढ़ाया है बल्कि अंतहीन वाद-विवाद में समय गंवाने की अपेक्षा एक सर्व-स्वीकार्य मार्ग को प्रशस्त किया है। 'वीआरएस' के नाम पर जो कुछ भी 'संदेह' पैदा करने की कोशिश हुई प्रधानमंत्री ने स्वयं उसको स्पष्ट कर इस शंका का समाधान कर दिया। इससे चारों तरफ उत्साह का वातावरण बन गया तथा सभी ने इस घोषणा का स्वागत किया।

एक कार्य जो असंभव सा दिखता था उसको संभव बनाने के लिए सरकार को बधाई देना चाहिए। यह न केवल अनेक जटिल प्रश्नों में उलझा हुआ एक विषय था बल्कि वित्तीय संसाधनों का भी यह एक बड़ा विषय था। कांग्रेसनीत यूपीए सरकार जो लगातार इस मांग को खारिज करती रही। उसने चुनाव के ठीक पहले 500 करोड़ का आवंटन का चुनावी लाभ लेने की कोशिश की किन्तु पूर्व सैनिकों का विश्वास नहीं जीत पाई। यह असल में इस पूरे विषय का एक मजाक था, कांग्रेस कभी भी इस मांग पर गंभीर नहीं रही और न ही इसे लागू करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया। भाजपा नीत राजग सरकार ने न केवल इसके लिए गंभीर प्रयास किये बल्कि इसने 8,000-10,000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि इसके लिए आवंटित की। यह हमारे सुरक्षा बलों का एक अधिकार था जिसकी लम्बे समय से घोर उपेक्षा की गई। उन्होंने इसे अधिकारपूर्वक अर्जित किया है तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र ने उनकी असाधारण सेवा एवं संकल्पशक्ति के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की है। ■

प्रधानमंत्री ने रामचरितमानस का डिजिटल संस्करण जारी किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 अगस्त को रामचरितमानस का डिजिटल संस्करण, आकाशवाणी द्वारा निर्मित डिजिटल सीडी का सेट जारी किया। इस संगीतमय प्रस्तुति में योगदान देने वाले कलाकारों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने न सिर्फ संगीत

साधना की है, अपितु संस्कृति साधना और संस्कार साधना भी की है। प्रधानमंत्री ने रामचरितमानस को एक महान महाकाव्य करार दिया, जिसमें 'भारत का सार' समाहित है।

उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि किस प्रकार मॉरिशस जैसे दुनिया के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करने वाले भारतीयों ने कई पीढ़ियों से रामचरितमानस के माध्यम से भारत के साथ संपर्क बनाए रखा है।

प्रधानमंत्री ने लोगों को आपस में जोड़ने और भारत में जागरूकता और सूचना का प्रसार करने में आकाशवाणी द्वारा निभायी जाने वाली भूमिका की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि आकाशवाणी के पास देश भर के विभिन्न कलाकारों की 9 लाख घंटों से ज्यादा की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं।

उन्होंने कहा कि यह एक अमूल्य संग्रह है, जिसका समृद्धि के लिए विस्तार से प्रलेखन किया जाना चाहिए। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली और प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष श्री सूर्यप्रकाश भी उपस्थित थे। ■

परिवर्तन रैली, भागलपुर (बिहार)

बिहार की जनता ने विकास के लिए वोट देने का संकल्प ले लिया है : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 1 सितंबर को बिहार के भागलपुर में आयोजित परिवर्तन रैली में उमड़े विशाल जन सैलाब को सम्बोधित किया और बिहार के विकास के लिए भाजपा के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की राजग सरकार बनाने की अपील की।

श्री मोदी ने भागलपुर की रैली को अभूतपूर्व बताते हुए

कहा कि इस रैली ने बिहार में वर्षों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि 25 वर्षों के बाद बिहार की जनता-जनार्दन ने विकास के लिए वोट देने का और बिहार में विकास की सरकार बनाने का संकल्प ले लिया है।

श्री मोदी ने कहा कि अब इस विजय यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। कितने भी भ्रम फैलाए जाएं, कितने भी झूठ फैलाएं जाएं, लेकिन बिहार की जनता ने एक प्रगतिशील बिहार, रोजगार के नए अवसर सृजन करने वाले बिहार, किसानों का कल्याण करने वाले बिहार एवं माताओं-बहनों की रक्षा करने वाले बिहार का निर्माण करने के लिए वोट देने का फैसला कर लिया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में सरकार चलाने वाले लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कार्यों का हिसाब जनता को दें।

उन्होंने कहा कि महागठबंधन के लोगों को अपने 25 साल के कामों और कारनामों का हिसाब जनता को देना चाहिए लेकिन वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि वे आगामी लोकसभा चुनाव के समय अपने काम का हिसाब जनता को देंगें। उन्होंने कहा कि जो आज आपसे वादाखिलाफी कर रहे हैं, वह पता नहीं आगे न जाने क्या-क्या करेंगें।

'स्वाभिमान रैली' नहीं 'तिलांजलि रैली'

कांग्रेस, राजद और जदयू के महागठबंधन पर निशाना साधते हुए श्री मोदी ने बीते 30 अगस्त की 'स्वाभिमान रैली' को 'तिलांजलि रैली' करार दिया और कहा कि उन लोगों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा जननायक कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी।

उन्होंने कहा कि राममनोहर लोहिया जीवन पर्यन्त कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे लेकिन इन लोगों ने केवल सत्ता स्वार्थ के लिए गांधी मैदान में कांग्रेस से हाथ मिला लिया। उन्होंने कहा कि जिस गांधी मैदान से लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने सम्पूर्ण क्रांति का बिगुल बजाया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे भारत में जंग छेड़ी थी, जिनको कांग्रेस की सरकार ने जेल में बंद कर इतनी यातनाएं दी कि हमें उन्हें खोना पड़ा, लेकिन इन लोगों ने उसी गांधी मैदान में केवल सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस से हाथ मिला लिया।

उन्होंने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये कैसी राजनीति है, ये कौन सा सिद्धांत है, कौन सी नीतियां हैं? प्रधानमंत्री ने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि अब इन लोगों को तिलांजलि देने का समय आ गया है।

महागठबंधन द्वारा पैकेज की झूठी राजनीति पर प्रहार

बिहार को दिए गए 1 लाख 65 हजार करोड़ रुपये के पैकेज पर महागठबंधन के नेताओं द्वारा की गई ओछी राजनीति पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब पैकेज का मजाक उड़ाने और इस पर झूठी बयानबाजी करने के बावजूद जनता के बीच इनकी दाल नहीं गली तो 25 वर्षों से लगातार जातिवाद और साम्प्रदायिकता का जहर फैलाने वालों को भी मजबूरन बिहार के विकास के लिए पैकेज देने का वादा करना पड़ा।

उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि बिहार में अब विकास के मुद्दे पर चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, ''मैं चाहता हूं कि दिल्ली सरकार और राज्य सरकार में तथा राज्यों-राज्यों के बीच विकास की स्पर्धा होनी चाहिए लेकिन अभी भी कुछ लोगों की जनता से धोखा करने की आदत नहीं जा रही है।''

श्री मोदी ने नीतीश कुमार के 2.70 लाख करोड़ के पैकेज की हकीकत बताते हुए कहा कि बिहार का सालाना बजट तकरीबन 50-55 हजार करोड़ रुपये का होता है, तो इस हिसाब से बिहार का पांच वर्षों का बजट 2.70 लाख करोड़ के करीब पहुँचता है। उन्होंने जनता को समझाते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने मौजूदा बजट को ही पांच साल के लिए जोड़कर इसे पैकेज का नाम दे दिया है जो बिहार की जनता के साथ सरासर धोखा है।

उन्होंने नीतीश कुमार के 2.70 लाख करोड़ के पैकेज की हकीकत बताते हुए कहा कि बिहार का सालाना बजट तकरीबन 50-55 हजार करोड़ रुपये का होता है, तो इस हिसाब से बिहार का पांच वर्षों का बजट 2.70 लाख करोड़ के करीब पहुँचता है। उन्होंने जनता को समझाते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने मौजूदा बजट को ही पांच साल के लिए जोड़कर इसे पैकेज का नाम दे दिया है जो बिहार की जनता के साथ सरासर धोखा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार को अगले पांच वर्षों में 14वें वित्त आयोग के जरिये भारत सरकार से 3 लाख 74 हजार करोड़ रुपये मिलने वाला है जो हमारे 1 लाख 65 हजार करोड़ के पैकेज के अतिरिक्त है।

उन्होंने जनता से पूछा कि अब आप ही बताईये कि भारत सरकार दे रही है तीन लाख 74 हजार करोड़ रुपये और नीतीश देने वाले हैं केवल 2 लाख 70 हजार करोड़ रुपये तो 1.6 लाख करोड़ रुपये की बाँकी की रकम कहाँ जाएगी? उन्होंने कहा कि क्या इसे चारा खाते में डाला जाएगा? उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में चूर लोगों ने बिहार के लोगों के साथ धोखा देने का पाप किया है लेकिन अब उन्हें समझ लेना चाहिए कि वो बिहार के बुद्धिमान लोगों को और अधिक नहीं बहका सकते।

बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बदतर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की खस्ता हालत पर जम कर प्रहार करते हुए कहा कि गरीबों को अच्छी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए राज्य सरकारें हर वर्ष सीएचसी अर्थात कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का निर्माण करने की दिशा में प्रयासरत रहती हैं लेकिन बिहार में इसकी हालत अत्यंत दयनीय है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में सीएचसी की संख्या 3300 से बढ़कर 5 हजार 300 हो गई। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सीएचसी 300 से बढ़कर 567, मध्य प्रदेश में 229 से बढ़कर 334, छत्तीसगढ़ में 116 से बढ़कर 157 हो गए लेकिन बिहार में सीएचसी 101 से घटकर 70 हो गयी। उन्होंने कहा कि क्या यही गरीबों की सेवा है?

उन्होंने कहा कि बिहार में पैसों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले पैसे में से पांच सौ करोड़ से अधिक रुपये की राशि खर्च तक नहीं कर पाई। उन्होंने जनता से ऐसे लोगों को सरकार से उखाड़ फेंकने की अपील की।

उन्होंने कहा कि मुझ पर ये ताना मारा जा रहा है कि मोदी जी को 14 माह बाद बिहार की याद आई। उन्होंने कहा कि जिनको सच बोलने की आदत ही नहीं है उनके लिए मुझे इस पर बातें करना जरूरी नहीं लगता, लेकिन मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि चाहे भूकम्प के वक्त तुरंत सहायता की बात हो या फिर पिछले वर्ष कोसी में भयावह तबाही की संभावना के मद्देनजर समय से पहले ही जान माल की सुरक्षा के लिए उठाये गए आवश्यक कदमों की बात हो, मैंने सर्वप्रथम संज्ञान लेते हुए व्यक्तिगत रूप से समस्याओं के समाधान की दिशा में उचित कार्रवाई की।

उन्होंने कहा कि जो बिहार को कभी भूला ही नहीं हो,

जिसके दिल में बिहार हो, उसे बिहार की याद नहीं आती। याद सत्ता के मद में चूर उन लोगों को आती है जिसका मकसद बिहार के लोगों का विकास नहीं, बिहार की भलाई नहीं, केवल किसी तरह सत्ता में बने रहना है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि महान ऐतिहासिक परम्पराओं से संस्कारित हुआ बिहार यदि आगे बढ़ा तो भारत दुनिया में सबसे आगे निकल जाएगा।

अपने भाषण के अंत में प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इसलिए मैं आप से आग्रह करने आया हूँ कि बिहार का भाग्य बदलने के लिए, अपने सपनों का बिहार बनाने के लिए तथा बिहार में विकास के लिए भाजपा के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की राजग सरकार बनाईये।

बिहार में बहार, लेकिन शिक्षक पर लाठी का प्रहार : सुशील कुमार मोदी

रैली को संबोधित करते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि यह केवल 10 जिले की रैली है। इस रैली का गंठबंधन की रैली से कोई तुलना नहीं की जा सकती है। नीतीश कहते हैं कि बिहार में बहार है लेकिन यहां शिक्षक पर लाठी का प्रहार है दवा के लिए हाहाकार है। उन्होंने कहा कि इस बार आप भाजपा को वोट दें तभी आपके राज्य में बहार आयेगी। नीतीश ने कोसी को मिले पैकेज को वापस कर दिया। पीमए ने जो पैकेज बिहार को दिया है उसकी रखवाली नीतीश और लालू नहीं कर सकेंगे। इसके लिए प्रदेश में भाजपा की सरकार आवश्यक है, क्योंकि दूध की रखवाली बिल्ली से नहीं करवाई जाती है।

नीतीश कहते हैं कि बिहार में बहार है लेकिन यहां शिक्षक पर लाठी का प्रहार है दवा के लिए हाहाकार है। उन्होंने कहा कि इस बार आप भाजपा को वोट दें तभी आपके राज्य में बहार आयेगी। नीतीश ने कोसी को मिले पैकेज को वापस कर दिया। पीमए ने जो पैकेज बिहार को दिया है उसकी रखवाली नीतीश और लालू नहीं कर सकेंगे। इसके लिए प्रदेश में भाजपा की सरकार आवश्यक है, क्योंकि दूध की रखवाली बिल्ली से नहीं करवाई जाती है।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार को पैकेज नहीं चाहिए। उन्हें पैकेज की राजनीति करनी है। हमें बिहार का विकास चाहिए इसलिए इस बार भाजपा को प्रदेश में लाना होगा। भाजपा नेता श्री नंद किशोर यादव ने कहा कि लालू कहते हैं कि दूध बेचने वाले भाजपा के साथ नहीं जायेंगे लेकिन इस बार दूध बेचने वाले चाय बेचने वाले के साथ जायेगा। नीतीश बाल और नाखून कटा रहे हैं लेकिन सब जानते हैं कि ऐसा काम कब किया जाता है। गंठबंधन के लोग एनडीए से घबरा गये हैं।

भाजपा नेता श्री नरेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले दिनों जो पटना के गांधी मैदान में स्वाभिमान रैली हुई वह अपमान रैली थी। उन्होंने कहा कि यदि उनके डीएनए के बारे में कहा गया तो सही ही कहा गया। क्योंकि 17 साल तक साथ रहने के बाद उन्होंने साथ छोड़ा। 17 साल साथ रहने के बाद उन्होंने राज किया और उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी दिखने लगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के पहले लोजपा अध्यक्ष श्री रामविलास पासवान ने कहा कि बिहार के भागलपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की चौथी रैली है। उन्होंने कहा कि मैं मंच से सोनिया गांधी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को बतलाना चाहता हूं कि यह रैली पटना के गांधी मैदान की रैली से काफी बड़ी है। उनकी रैली फ्लॉप रही थी। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग कर्ज से दबे हुए है। ये लोग जातिवाद पर शासन करना चाहते हैं। भागलपुर में दंगा लालू और कांग्रेस ने करवाने का काम किया।

रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी ने कहा कि बिहार में परिवर्तन हो ऐसा मैं भी चाहता हूं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैकेज दिया है। इस पैकेज के सही उपयोग के लिए राज्य में एनडीए की सरकार आवश्यक है। यदि यह पैकेज नीतीश कुमार के हाथों में गया तो वह इसका दुरुपयोग करेंगे। नीतीश अहंकारी है। वह जनता की भलाई नहीं चाहते हैं। जब से भाजपा के साथ जदयू का गंठबंधन टूटा है यहां जंगलराज कायम हो गया है।

राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आपके उत्साह को देखकर लग रहा है कि बिहार में परिवर्तन की बयार बह चुकी है। दिल्ली की सरकार बिहार के लिए काम करना चाहती है लेकिन गठबंधन के लोग जनता को बरगलाने में लगे हुए हैं। आपको उनकी बातों में आने की जरुरत नहीं है। आपने जो लोकसभा में परिणाम दिया है एनडीए को उससे ज्यादा की उम्मीद इस विधानसभा चुनाव में है। ■

गति-प्रगति रैली, फरीदाबाद हरियाणा

हमारा एकमात्र मंजिल विकास है : नरेन्द्र मोदी

हरियाणा के फरीदाबाद सेक्टर-12 स्थित स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स की गति-प्रगति रैली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 6 सितंबर को हरी झंडी दिखाकर फरीदाबाद के लोगों को मेट्रो की सौगात दी तथा सभा में उपस्थित विशाल जन-समुदाय को सम्बोधित किया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि देश राजनीति से नहीं राष्ट्रनीति से आगे बढ़ता है, देश विवादों से नहीं, संवाद से आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि हमारी एकमात्र मंजिल विकास है। उन्होंने 2022 तक हर गरीब को घर देने का संकल्प दोहराया।

रैली में वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने पूर्व सैनिकों से जो वादा किया था, उसे निभाया है।

'वन रैंक, वन पेंशन' के मुद्दे का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने पूर्व सैनिकों से जो वादा किया, उसे निभाया है।

श्री मोदी ने कहा कि वीआरएस के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'ऐसे जवान जो मोर्चे पर गंभीर रूप से विकलांग होने के कारण सेना छोड़ देते हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा, हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं। देश की सेना से प्यार करने वाला प्रधानमंत्री ऐसा कर नहीं कर सकता, जवानों के सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है।'

श्री मोदी ने कहा कि सेना के हर जवान को, हर पेंशनधारी को, पूरी नौकरी करने वाले और मजबूरन सेना की नौकरी छोड़ने वाले, सभी को वन रैंक, वन पेंशन का फायदा मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ सुझावों पर बात की जा सकती है इसके लिए एक कमिटी बनाई गई है। श्री मोदी ने कहा, ''मैं जवानों को कहता हूं ये आपकी सरकार है, आपका बुलंद हौसला देखना चाहती है, आने वाले दिनों में भी जहां आपको जरूरत होगी सरकार अपने जवानों के साथ खड़ी होगी।'' उन्होंने कहा कि भारत के दस जवानों में औसतन एक जवान हरियाणा का है। इसलिए हरियाणा के लोगों को सर्वाधिक फायदा होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब हरियाणा के पूर्व सैनिकों के पास करोड़ों रुपये आएंगे, तो इससे हरियाणा का आर्थिक विकास भी तेजी से होगा।

कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्होंने 42 साल तक सैनिकों के लिए कुछ नहीं किया, उन्हें बोलने का कोई हक नहीं। जिन लोगों को देश की जनता ने अस्वीकार कर दिया, वही लोग देश का विकास नहीं होने देना चाहते।

प्रधानमंत्री ने कहा, ''कांग्रेस सरकार ने ओआरओपी के लिए मात्र 500 करोड़ का बजट रखा। सेना के जवानों की बातें नहीं सुनी जा रही थी। मैंने इस पर काफी अध्ययन किया और पाया कि यह 500 करोड़ में होने वाला नहीं था, इसमें 8-10 हजार करोड़ का खर्चा आएगा जबकि पुरानी सरकारें 500 करोड़ का बजट लेकर जवानों और देश की जनता को भ्रमित करने का काम करती रही।''

उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि सारे काम पिछले 60 सालों में पूरे हो जाते लेकिन उनकी कमियों पर मैं सिर्फ टीका-टिप्पणी करना वाजिब नहीं समझता। उन्होंने कहा कि हम अनवरत रूप से विकास के नए-नए उपाय ढूंढकर और उसका त्वरित कार्यान्वयन कर देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयत्नशील हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री वेंकेया नायडू ने ऐसी योजना तैयार की है जिससे न सिर्फ मकान मिले, बल्कि घर के नजदीक ही बिजली, पानी, स्कूल की सुविधाएं भी मिलें। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बिरेंद्र सिंह का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए योजना तैयार कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि मेट्रो रेल के हरियाणा में आगमन से विकास के नए द्वार खुलेंगे और इससे न सिर्फ जल्द पहुंच सकेंगे, बल्कि विकास को भी गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि इस योजना का नाम गति-प्रगति रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह काम यहीं नहीं रुकेगा, इसे जल्द ही बल्लभगढ़ तक पूरा किया जाएगा।■

लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए सरकार सभी प्रयास करेगी : अमित शाह

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा की विजय देश के विकास व एकता की विजय है। पुडुचेरी के अपने प्रथम प्रवास के दौरान 25 अगस्त को कार्यकर्ताओं

को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा दक्षिणी राज्यों मसलन-तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और आंध्र प्रदेश में अपनी पैठ मजबूत बनाने के लिए कड़े प्रयास कर रही है।

इस अवसर पर श्री शाह ने मोदी सरकार के पिछले 15 महीनों के दौरान उठाए गए प्रमुख कदमों की जानकारी दी और विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दुहराया।

उन्होंने कार्यकर्ताओं को अपने सहयोगी दलों के साथ पुडुचेरी में आगामी विधानसभा चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए कठिन परिश्रम करने का आह्वान किया। संघीय क्षेत्र के उद्योगपतियों से बातचीत व बैठक के दौरान भाजपा अध्यक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर उनकी राय को संज्ञान में लिया।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के प्रति लोगों की बड़ी अपेक्षा से भाजपा अवगत है। श्री शाह ने लोगों को आश्वस्त किया कि अगले आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार लोगों को सपनों को पूरा करने के लिए सभी प्रयास करेगी।

संघीय क्षेत्र में भाजपा अध्यक्ष का कार्यक्रम बहुत व्यस्त था। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने से पहले श्री अमित शाह पुडुचेरी के मुख्यमंत्री श्री एन. रंगास्वामी से मिले इस दौरान सांसद श्री आर. राधाकृष्णन भी उपस्थित थे। श्री शाह सुबह चिदम्बरम में नटराज मंदिर में पूजा-अर्चना की।

भाजपा अध्यक्ष श्री अरविंदो आश्रम गए

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह श्री अरविंदो आश्रम गए और वहां श्री अरविंदो और उनकी आध्यात्मिक समावेशक श्रीमां की समाधि के सामने कुछ मिनटों तक मौन खड़े रहकर उन्हें श्रद्धांजली दी।

श्री अमित शाह श्री अरविंदो के उस कमरे में गए, जहां क्रांतिकारी से दार्शनिक रूपांतरण के दौर में अरविंदो 1926 से 1950 तक रहे। उस दौरान श्री अरविंदो अपने अनुयायियों से नहीं मिलते थे। उनके अनुयायी साल में कुछेक मौकों पर उनके दर्शन के लिए जाते थे। बाद में इन दिनों को दर्शन दिवस के रूप में जाना जाने लगा। महान रचना सावित्री की मुख्य हिस्सा इसी कमरे में लिखा गया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष आश्रम के लेखागार में भी गए और वहां ट्रस्ट द्वारा सुसज्जित रूप से रखी गई श्री अरविंदो की हस्तलिपि को देखकर वे काफी प्रभावित हुए। लेखागार के पास कोल्ड स्टोरेज वाल्ट था, जो हस्तलिपि को सुरक्षित रखने के लिए तापमान व आर्द्रता को नियंत्रित रखता है। श्री अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री श्री पी. राधाकृष्णन, तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष श्रीमती एस. सौंदराजन, पुडुचेरी भाजपा अध्यक्ष आर. विश्वेस्वरन, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री मुरलीधर राव और सांसद श्री महेश गिरी भी थे। ■

संगठनात्मक गतिविधियां : बेंगलुरु नगर निगम चुनाव में भाजपा की जीत

नकारात्मक आरोपों की राजनीति के खिलाफ जनता ने दिया जनादेश : अमित शाह

बेंगलुरु नगर निगम चुनावों में भाजपा को मिली शानदार सफलता पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने राज्य की जनता, भाजपा कार्यकर्ताओं तथा संगठन पदाधिकारियों को बधाई दी और कहा कि यह जीत भाजपा की विकासोन्मुखी नीतियों तथा 'सबका साथ, सबका विकास' की विचारधारा की जीत है।

उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं बेंगलुरु स्थानीय निकाय चुनावों में जीत के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और भाजपा में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए बेंगलुरु के लोगों को भी धन्यवाद देता हूं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर निकाय चुनावों में भाजपा की सुखद और हर्षक हैट्रिक पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताने के लिए कर्नाटक की जनता को धन्यवाद दिया तथा साथ ही उन्होंने बेंगलुरु निकाय चुनावों में भाजपा के इस शानदार प्रदर्शन के लिए राज्य की जनता, कर्नाटक प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भी बधाई दी है।

पहले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और अब कर्नाटक – एक के बाद एक निकाय चुनावों में लगातार अभूतपूर्व जीतों की हैट्रिक पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए भाजपा अध्यक्ष श्री शाह ने कहा कि यह जीत कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी के लगातार गरीब विरोधी, विकास विरोधी तथा नकारात्मक आरोपों की राजनीति के खिलाफ जनता द्वारा दिया गया जनादेश है।

तमाम एग्जिट पोल के दावों के बावजूद बेंगलुरु निकाय चुनावों में भाजपा को मिले व्यापक जनादेश पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक की स्थानीय कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार तथा उनकी गरीब और विकास विरोधी नीतियों से जनता अपने आपको उपेक्षित और ठगा महसूस कर रही है। इसलिए जनता ने इस जीत के माध्यम से इन लोगों को सच्चाई का आईना दिखाने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की देश की आर्थिक प्रगति एवं विकास में बाधा उत्पन्न करने की नकारात्मक राजनीति के खिलाफ जनता में जनाक्रोश है और जनता आनेवाले समय में कांग्रेस को इसी तरह से माकूल जवाब देती रहेगी।

भाजपा अध्यक्ष श्री शाह ने कहा कि जनता की अदालत ने कांग्रेस द्वारा भाजपा के खिलाफ फैलाये जा रहे मिथ्या एवं आधारहीन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है तथा भाजपा की विकास की नीतियों और सुशासन में अपनी निष्ठा जाहिर करते हुए भाजपा पर एक बार फिर से अपनी मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में हाशिये पर खड़ी कांग्रेस को अपने इस नकारात्मक राजनीति के ऊपर गंभीर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। ■

सरकार की उपलब्धियां :

सरकार ने की 'एक रैंक एक पेंशन' योजना की घोषणा

40 सालों से लंबित थी यह मांग

सभी फौजियों को 'वन रैंक वन पेंशन' का लाभ

रक्षा मंत्री श्री मनोहर परिकर ने 5 सितंबर को पूर्व सैनिकों की करीब 40 साल पुरानी लंबित मांग 'वन रैंक-वन पेंशन' की घोषणा कर दी और इस योजना के अंतर्गत समयपूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सैन्य बलों के जवान भी

आएंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि यह मांग चार दशकों से लंबित थी। सरकार इसे लागू कर रही है और इस पर 8 से 10 हजार करोड़ का सालाना खर्चा होगा। पूर्व सैनिकों को 1 जुलाई 2014 से इसका लाभ मिलेगा। सैनिकों को 4 किस्तों में बकाया पैसा मिलेगा। हालांकि शहीदों के परिवारों को एक किश्त में बकाया दे दिया जाएगा। साथ ही हर पांच साल में पेंशन की समीक्षा होगी।

इस अवसर पर श्री परिकर ने कहा कि भारत सरकार अपने रक्षा बलों तथा पूर्व सैनिकों के पराक्रम, देशभक्ति तथा त्याग के लिए उनका सम्मान करता है। अपने कर्तव्य तथा वीरता के प्रति उनके समर्पण के लिए सरकार को गर्व है। राष्ट्र की चौकसी तथा वीरतापूर्वक उसकी रक्षा करने के साथ हमारी सेना ने प्राकृतिक आपदा, कानून तथा व्यवस्था स्थितियों व अन्य मुश्किल परिस्थितियों में साहस तथा वीरता के अनुकरणीय मानकों का प्रदर्शन किया है।

उन्होंने कहा कि 'एक रैंक एक पेंशन' (ओआरओपी) का मामला चार दशकों से लम्बित है। ये एक गंभीर चिंता का मामला है कि विभिन्न सरकारें ओआरओपी के मामले में अस्पष्ट रहीं। फरवरी, 2014 में तत्कालीन सरकार ने कहा था कि 2014-15 में ओआरओपी का कार्यान्वयन होगा। लेकिन इसका स्वरूप क्या होगा, ये कैसे लागू होगा अथवा इसकी लागत क्या होगी इसके बारे में स्पष्ट नहीं किया गया था।

रक्षा मंत्री ने कहा कि तत्कालीन सरकार द्वारा फरवरी, 2014 में प्रस्तुत बजट में ओआरओपी के लिए अनुमानित 500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए थे, जो किसी विस्तृत विश्लेषण पर आधारित नहीं थे। यहां पर यह उल्लेख करना प्रासांगिक होगा कि रक्षा राज्य मंत्री ने 2009 में, एक प्रश्न के उत्तर में संसद को सूचना दी थी कि ओआरओपी के कार्यान्वयन में प्रशासनिक, तकनीकी तथा वित्तीय कठिनाईयां हैं। इन्हीं कारणों के चलते वर्तमान सरकार ने अपने वायदे को पूरा करने में कुछ समय लगाया।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न अवसरों पर सैन्य पेंशन अंतर्गत ओआरओपी का क्रियान्वयन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। जैसा कि ऊपर कहा गया है पूर्व सरकार ने मात्र 500 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ ओआरओपी के क्रियान्वयन का अनुमान लगाया था। यद्यपि, वास्तविकता ये है कि ओआरओपी के कार्यान्वयन के लिए वर्तमान में राजकोष से अनुमानित 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये तक का अनुमानित खर्च आएगा और भविष्य में इसमें और वृद्धि हो सकती है।

यही नहीं, सरकार ने विशेषज्ञ तथा पूर्व सैनिकों के साथ व्यापक परामर्श किया है। ओआरओपी के लिए मुख्य बहस ये है कि रक्षा कर्मचारी जल्दी सेवानिवृत्त होते हैं तथा इसीलिए सामान्य सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवारत होने के लाभ उन्हें प्राप्त नहीं होते। भारी वित्तीय भार के बावजूद पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए दिए गये अपनी

प्रतिबद्धता के कारण सरकार ने ओआरओपी को लागू करने का निर्णय लिया है।

दरअसल, ओआरओपी का अर्थ है समान पद तथा सेवा की समान अवधि के साथ सेवानिवृत्त हुए सशस्त्र बल के कर्मचारियों को समान पेंशन मिलेगी। सेवानिवृत्ति की तिथि का इस पर कोई असर नहीं होगा। पूर्व पेंशन कर्मियों को पेंशन की दरों में भविष्य में होने वाली वृद्धि का लाभ स्वतः ही मिलेगा। इसका अर्थ है समय-समय के अंतराल पर वर्तमान तथा पूर्व पेंशन कर्मियों की पेंशन संबंधी दरों के बीच के अंतर को कम करना। इस परिभाषा के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया है कि वर्तमान पेंशनधारी तथा पूर्व पेंशनधारकों के पेंशन की दरों के बीच का अंतर प्रत्येक पांच सालों में कम किया जाएगा।

सभी फौजियों को 'वन रैंक वन पेंशन' का लाभः नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 सितंबर को यह स्पष्ट कर दिया कि समयपूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सैन्य बलों के जवान भी वन रैंक, वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के दायरे में आएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि जिन्हें 15-17 साल की सेवा के बाद नौकरी छोड़नी पड़ी उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों, चाहे वो एक हवलदार हो, एक सिपाही हो या फिर एक नायक हो, आप सभी देश को सुरक्षित रखते हैं। अगर किसी को ओआरओपी मिलता है तो पहले आपको मिलेगा।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि युद्ध में लड़ते हुए अगर किसी ने अपने शरीर का कोई अंग खो दिया और उसे सेना छोड़नी पड़ी तो क्या उसे ओआरओपी से वंचित रखा जा सकता है? सैन्य बलों से प्रेम करने वाला प्रधानमंत्री इस बारे में सोच भी नहीं सकता। ऐसे सभी लोगों को ओआरओपी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लिहाजा, 8,000-10,000 करोड़ रुपए में से ज्यादातर उन जवानों को मिलेगा जिन्हें 15-17 साल की सेवा के बाद सशस्त्र बल छोड़ना पड़ा है।

उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों में ऐसे जवान 80 से 90 फीसद होते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि स्वैच्छिक सेवानिवृति (वीआरएस) के नाम पर 'आपको (सैनिकों को) गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जो गलत है। किसी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। इस सरकार का रुख साफ है कि हमने देश के लिए जीने-मरने वाले जवानों से वादा किया था और कल हमने ऐलान कर दिया। ■

ओआरओपी योजना के मुख्य बिंदु

- ये लाभ 01 जुलाई, 2014 से प्रभावी होगा। वर्तमान सरकार ने 26 मई, 2014 से कार्यभार संभाला था और इसीलिए इसके तुरंत एक दिन बाद से इस योजना को लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- बकाया राशि का चार अर्द्धवार्षिक किश्तों में भुगतान किया जाएगा। सभी विधवाएं को, जिनमें युद्ध में विधवा हुई महिलाएं भी शामिल हैं, एक किश्त में बकाया राशि दी जाएगी।
- शुरू में वर्ष 2013 के आधार अनुसार ओआरओपी का निर्धारण किया जाएगा।
- 2013 में न्यूनतम तथा अधिकतम पेंशन के औसत के अनुसार समान पद तथा सेवा की समान अवधि में सेवानिवृत्त हो रहे सभी पेंशनधारकों के लिए पेंशन का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। औसत से ऊपर पेंशन ले रहे पेंशनधारकों को संरक्षण दिया जाएगा।
- भविष्य में प्रत्येक पांच सालों में पेंशन का पुनर्निर्धारण किया जाएगा।
- अनुमान लगाया जा रहा है कि अकेले बकाया राशि के ऊपर 10 से 12 हजार करोड़ रुपयों का खर्च आएगा। पिछली सरकार ने बजट में मात्र 500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए थे। इस बात के अलावा ये भी विचारणीय है कि कोशियारी समिति ने ओआरओपी के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त वित्तीय भार के रूप में 235 करोड़ रुपये के अनुमान को स्वीकार किया था। वर्तमान सरकार ने ओआरओपी को सही भावना से स्वीकार करते हुए इन गलत अनुमानों के बारे में विचार नहीं किया है।
- ओआरओपी एक जटील मामला है। इस संबंध में अलग अवधि तथा अलग पदों में सेवानिवृत्ति हुए सैनिकों के हितों का गहन अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। तीनों बलों की अंतर सेवा मामलों के बारे में भी विचार किये जाने की जरूरत है। ये केवल एक प्रशासनिक मामला नहीं है। इसीलिए इस बात का भी निर्णय लिया गया है कि एक सदस्यीय न्यायिक समिति गठित की जाएगी, जो छह महीनों में अपनी रिपोर्ट दे देगी।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए सशस्त्र बल कर्मचारियों के लिए ओआरओपी को स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय शीघ्र ही विस्तृत सरकारी आदेश जारी करेगा। ■

सरकार की उपलब्धियां

ऑन-लाइन मिलेगा नए रसोई गैस का कनेक्शन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने 30 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना, डिजिटल इंडिया की तर्ज पर नए रसोई गैस कनेक्शन की ऑन

लाइन सुविधा का शुभारंभ किया है। अब 'सहज' के माध्यम से उपभोक्ता ऑनलाइन नए एलपीजी कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराने के साथ ही उसका भुगतान करने में भी सक्षम होगें।

श्री प्रधान ने कहा कि उपभोक्ता अब नया कनेक्शन ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसका सत्यापन 48 घंटे के भीतर हो जाएगा और निकटवर्ती एलपीजी एजेंसी से नया गैस कनेक्शन अगले तीन चार दिन में उपभोक्ता के घर आ जाएगा। उन्होंने कहा कि इस शुरुआत से उपभोक्ताओं की नए गैस कनेक्शन के लिए गैस एजेंसियों के यहां जाने में होने वाली परेशानियां दूर होंगी। नया गैस सिलेंडर बुक कराना तो पहले ही ऑनलाइन किया जा चुका है।

इस सुविधा की शुरुआत करते हुए श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने 'सहज' पहल को लागू किए जाने के लिए तेल विपणन कंपनियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया, देश को एक डिजिटली सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने साथ ही सरकारी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए है। उन्होंने कहा कि मैं, पीएसयू तेल विपणन कंपनियों को उनकी व्यवसाय प्रक्रियाएं डिजिटल इंडिया विजन के साथ लाने के लिए को बधाई देता हूं।

श्री प्रधान ने कहा कि पिछले सात महीनों में पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों ने एलपीजी की कवरेज को बढ़ाया है और ग्राहकों के लिए बेहतर सेवाओं की मात्रा में बढोतरी की है। पहल योजना का विस्तार जारी है, देश भर में एलपीजी सब्सिडी प्रशासन में सुधार करने के उद्देश्य से इस योजना के तहत सीधे ग्राहकों के बैंक खातों में एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का निर्बाध हस्तांतरण सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अपील के बाद एलपीजी सब्सिडी छोड़ने वाले 25 लाख भारतीयों को धन्यवाद दिया क्योंकि यह बीपीएल परिवारों को धुएं से भरी रसोई से छुटकारे मददगार हुई है। श्री प्रधान ने उल्लेख किया कि जनवरी से जुलाई 2015 तक बीपीएल परिवारों के लिए 22 लाख नए एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं।

श्री प्रधान ने उन 12 शहरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राहकों और वितरकों से बातचीत की जहां इस योजना की शुरुआत की गयी है। दिल्ली सहित अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना और पुणे में इस पहल की एक साथ शुरुआत की गयी है। अगले कुछ दिनों के भीतर इसे अखिल भारतीय स्तर पर शुरू किया जाएगा।

जल्द आएगा 2 किलो का एलपीजी सिलेंडर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि हम अब दो किलो का सिलेंडर पेश करने की योजना बना रहे हैं जो लाने ले जाने में आसान होगा। यह विशेषकर उन ग्रामीण गरीब लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो 14.2 किलो या 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत चुकाने में सक्षम नहीं हैं। घरेलू इस्तेमाल के लिए रसोई गैस का पारंपरिक सिलेंडर 14.2 किलो का है जो लाने ले जाने में आसान नहीं है। इसके अलावा इसकी 418 रुपए की कीमत भी गरीब ग्रामीण आबादी के हिसाब से ऊंची मानी जाती है।

उपभोक्ताओं को और आसान विकल्प उपलब्ध कराने के लिए पांच किलो का गैस सिलेंडर अक्टूबर 2013 में पेश किया गया था, जिसकी कीमत 155 रुपए है। श्री प्रधान ने कहा कि इस दिशा में पहले 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर का उपयोग बढ़ाया जाएगा। पहले चरण में ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में पांच किलो वाले गैस सिलेंडर के लिए कनेक्शन जारी किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि दो किलो के प्रस्तावित गैस सिलेंडर से समाज के कमजोर तबके सहित, विद्यार्थियों और मजबूरों की रसोई गैस जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा जिनके पास आमतौर पर अपने आवासीय पते का कोई साक्ष्य नहीं होता। इस तरह के लोग पांच किलो का सिलेंडर बाजार कीमत पर खरीद सकते हैं। ■

वैचारिकी : संस्मरण – दीनदयाल जयंती (25 सितंबर) पर विशेष

पं. दीनदयाल उपाध्याय : व्यक्ति और विचार

डा. मुरली मनोहर जोशी

डॉ. मुरली मनोहर जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रहे हैं। विचारक राजनेता के तौर पर आप सुविख्यात हैं। डॉ. जोशी ने 'मंथन' पत्रिका में हम सबके प्रेरणास्रोत पं. दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करते हुए महत्त्वपूर्ण संस्मरण लेख लिखा था। दीनदयाल जयंती (25 सितंबर) पर हम इसे कमल संदेश में प्रकाशित कर रहे हैं। प्रस्तुत है लेख का प्रथम भाग–

मैं जब छात्र था, तभी से दीनदयाल जी के साथ मेरा संबंध था। उन दिनों भी हम उन्हें पंडित जी कहा करते थे। जहाँ तक मुझे स्मरण है, जब से मैं इलाहाबाद में रहता हूं, तब से जब कभी पंडित जी इलाहाबाद आये, शायद ही एकाध अवसर पर वे कहीं और ठहरे हों; सामान्यत: वे मेरे ही घर पर ठहरा करते थे। इसलिये उनके सामान्य जीवन के विषय में काफी कुछ ज्ञान मुझे है। बहुत ही सादे व्यक्ति, देखकर यह अनुभव नहीं होता था कि इतने गंभीर विचारक होंगे। इतना महान राजनीतिज्ञ, इतना बड़ा तत्वदर्शी और इतना अधिक सादा। यह कई बार हुआ कि रिक्शे पर बैठ हुए पंडित जी चले आ रहे हैं सवेरे 9 बजे; कोई सूचना नही; घर पर आयेंगे, स्नान करेंगे और कहेंगे भई जल्दी से मुझको उड़द की दाल और दही में चीनी डाल कर भोजन तैयार कराओ। उन दिनों मैं अविवाहित था, और जब तक मैं कहीं से घूमघाम कर वापस आऊं, तब तक पंडित जी तो रिक्शे पर बैठ कर स्टेशन चले भी जाते थे।

उन दिनों प्राय: यह हो जाया करता था कि पंडित जी को लाने ले जाने के लिये मोटरकार का प्रबंध करने में विलम्ब हो जाता। तो ''नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है, इसी पर चलेंगे'' कहते हुए वे मेरी मोटरसाइकिल पर जा विराजते थे। 1962 के आम चुनावों मे तो यह कई बार हुआ कि उनकी सभा का समय हो रहा है और जो कार्यकर्ता उनके लिये मोटर का प्रबंध करने गये हैं उन्हें आने में विलम्ब हो गया है, तो ''चलो मोटाइसाइकिल से ही चलते हैं। जहाँ रास्ते में मोटर मिलेगी, वहाँ उसको ले लेंगे।'' आठ-आठ, दस-दस, बारह-बारह मील देहात में भी वे मोटरसाइकिल पर मेरे साथ बैठकर चले जाते थे। भारतीय जनसंघ के वे उस समय महामंत्री थे, पर अपने व्यवहार से कभी यह अनुभव होने ही नहीं दिया कि वे इतनी बड़ी संस्था के महामंत्री हैं। एक बिलकुल छोटी सी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर बहुत बड़ी सार्वजनिक सभाओ में भाषण करने के लिये जा रहे हैं! ऐसा निश्छल व्यवहार कि कहीं किसी प्रकार की कोई ग्रन्थि नहीं।

उनके कपड़ों और अन्य वस्तुओं के बारे में तो जितना कहा जाय, वह उतना ही मजेदार है। उन्हें देखकर कोई यह पता नहीं लगा सकता था कि इस प्रकार का बिल्कुल सादी ग्रामीण वेशभूषा वाला व्यक्ति पं. दीनदयाल उपाध्याय है। वे सही अर्थ में वीतराग थे और यही कारण था कि उनकी आकृति और उनके चेहरे से लोग परिचित नहीं थे। लोग पं. दीनदयाल जी के विचार से परिचित थे, भारतीय जनसंघ से परिचित थे, जनसंघ के अनेक नेताओं से परिचित थे, किन्तु दीनदयाल जी को देखकर उनको पहिचानने में लोगों को कुछ कठिनाई होती थी।

उनके कपड़ों और अन्य वस्तुओं के बारे में तो जितना कहा जाय, वह उतना ही मजेदार है। उन्हें देखकर कोई यह पता नहीं लगा सकता था कि इस प्रकार का बिल्कुल सादी ग्रामीण वेशभूषा वाला व्यक्ति पं. दीनदयाल उपाध्याय है। वे सही अर्थ में वीतराग थे और यही कारण था कि उनकी आकृति और उनके चेहरे से लोग परिचित नहीं थे। लोग पं. दीनदयाल जी के विचार से परिचित थे, भारतीय जनसंघ से परिचित थे, जनसंघ के अनेक नेताओं से परिचित थे, किन्तु दीनदयाल जी को देखकर उनको पहिचानने में लोगों को कुछ कठिनाई होती थी। एक घटना तो स्वयं उन्होंने ही सुनायी। दिल्ली स्टेशन पर एक कार्यकर्ता उनसे मिले, वे 4-5 मिनट तक उनसे बातचीत करते रहे। इतने में उन कार्यकर्ता महोदय के एक और मित्र भी आ गये।

दीनदयाल जी की ओर संकेत करके कार्यकर्ता बन्धु ने अपने मित्र से कहा, ''क्या तुम इन्हें पहिचानते हो''? -उत्तर मिला, ''नहीं''। ''अरे ये भारतीय जनसंघ के इतने बड़े नेता हैं, तुम इन्हें पहिचानते भी नहीं? ये ही तो हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी।'' दीनदयाल जी से वे सज्जन इस प्रकार बात कर रहे थे कि मानो उनके साथ बहुत घनिष्ठ परिचय है। किन्तु नाम याद आया उनको, तो अटल बिहारी वाजपेयी का। दीनदयाल जी को नाम, अपनी सार्वजनिक प्रसिद्धि, इससे कोई मोह नहीं था, इसकी उन्होंने कभी चिन्ता नहीं की। वे स्वयं बहुत आनन्द लेकर उस घटना को सुनाते थे। उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्थिति भी काफी हास्यास्पद हो जाया करती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रसिद्धिपराङ्मुखता, प्रसिद्धि से कोई लाभ नहीं-यह वृत्ति उनमें कूट-कूट कर भरी थी। देश में यह स्थिति है कि राजनीतिक पुरुष यह नित्य देखता है कि मेरी प्रसिद्धि आज कितनी हुई है? आज समाचार-पत्र में कितनी बार मेरा नाम छपा है? जहां ऐसा राजनीतिक वायुमंडल हो कि नाम प्रतिदिन छपना ही चाहिए, वहाँ एक ऐसा व्यक्ति, जो इस बात से भी बिल्कुल निरपेक्ष, तटस्थ रहता हो, प्रसिद्धि के लिये आग्रह तो दूर की बात, बल्कि उससे एक प्रकार की वितृष्णा रखे, आश्चर्य ही कहा जायेगा। कई बार मैं कहता था कि पंडित जी आप सभा में जा रहे हैं, यह आपका जो कुर्ता है, जरा इसको दीजिए, इस पर मैं प्रेस करवा दूं, तो कहते थे कि लोग मेरी बात सुनने आ रहे हैं या मेरा कुर्ता देखने आ रहे हैं? और प्राय: यह होता था कि जब जाड़ा समाप्त हुआ तो अपनी शाल और अपना गर्म कुर्ता किसी एक कार्यकर्ता के घर छोड़ दिया और कहा कि मेरी वह धोती जो पिछले वर्ष छोड़ गया था (जो बहुधा फटी हुई भी होती थी), वह कहाँ है? फिर गर्मी समाप्त हुई तो कभी पहुंच गये कि वह शाल कहाँ है? सामान इतना कम कि एक छोटी अटैची भी उनकी पूरी भरती नहीं थी। अपरिग्रह वृत्ति का एक साधक-अहर्निश भ्रमण करने वाला, देश के कोने-कोने में जाने वाला-हर प्रान्त के हर नगर में घूमते-घूमते अनेक गांवों के कार्यकर्ताओं के घर ही मानो उनके अपने घर बन गये थे।

वे आते थे, लोग कहते थे ''पंडित जी आ गये,'' यानी बिल्कुल एक अपने घर का ऐसा व्यक्ति जो हम सब का मार्गदर्शन करने वाला, हम सब की चिन्ता करने वाला, हमारा अपना, वह घर में आ गया। जिन लोगों के साथ वे ठहरते थे, उनके साथ ऐसा तादात्म्य उनका था। कालीकट अधिवेशन के लिये भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में जाते हुए जिस डिब्बे में वे थे, उसी में मैं भी था। दिल्ली से लेकर कालीकट तक ''जय जय दीनदयाल'' की ध्वनि प्रत्येक स्टेशन पर होती थी। स्थान-स्थान पर कार्यकर्ता रात को एक बजे भी पहुंचते थे, मालाओं से उनको लादने की चेष्टा करते थे, परन्तु दीनदयाल जी पर मैंने उसका तनिक भी प्रभाव नहीं देखा। जिस समय कालीकट अधिवेशन से वे लौटकर लखनऊ स्टेशन पर आये तो वहाँ एक कार्यकर्ता मिले। वह कार्यकर्ता बाद में उत्तर प्रदेश के मंत्रि-परिषद् के एक सदस्य भी बने। पंडित जी उनसे कहने लगे-मौलिक अधिकारों के विषय में आपने जो सुझाव दिया था, उसका मैंने अपने अध्यक्षीय भाषण में समावेश कर दिया है। और समाचार-पत्रों के जितने भी संवाददाता आये हुए थे, उनको मिलाते हुए कहने लगे कि देखिए ये हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील हैं और इन्होंने ही यह महत्वपूर्ण सुझाव मुझे दिया था। ऊपरी तौर पर यह बहुत छोटी सी बात थी, शायद वे कार्यकर्ता भी भूल गये थे कि उन्होंने कभी पंडित जी को ऐसी बात बतायी भी थी, किन्तु दीनदयाल जी के लिये यह महत्वपूर्ण था कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई अच्छी बात बतायी तो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। यह भाव सामान्यत: आजकल देखने को नहीं मिलता। एसी अनेक घटनाऐं हैं जो उनकी अहंकार-शून्यता का परिचय देती हैं। जीवन में इतनी विनम्रता कि दीनदयाल जी कभी-कभी दीनता की साक्षात प्रतिमूर्ति ही बने दिखायी देते थे।

स्टेशन पर कभी उन्हें ढूंढ़ने जाइए और यदि आपने उन्हें पहले देखा न हो तो यह जानना कठिन होता था कि दीनदयाल जी कहाँ मिलेंगे। आवश्यक नहीं कि वे प्रथम श्रेणी के डिब्बे में ही आपको मिलें। यह हो सकता था कि वे जाड़ों में रात को टू टियर में, या बिना आरक्षित डिब्बे में भी कहीं बिल्कुल गठरी सी बने हुए रजाई के अन्दर बैठे हुए मिल जायँ और आप बहुत आवाज दें तब पता लगे कि दीनदयाल जी इस डिब्बे में एक गठरी में से प्रकट हो रहे हैं।

वे सामान्य भारतीय की भांति विदेश गये। कहने लगे कि मैं तो वहाँ पगड़ी बांधूंगा। क्यों? ''ठंड होती है इसलिए?'' ''नहीं'', बल्कि इसलिये कि, ''एक सामान्य भारतीय कृषक पगड़ी बांधता है इसलिये मैं भी वही पहनूंगा।'' पंडित

जी का भारतीय नागरिक के साथ इस सीमा तक तादात्म्य था। अनेक घटनाएं हैं इस प्रकार की, जो उनके जीवन के इंद्रधनुष का वर्ण स्पष्ट करती हैं हर क्षेत्र में। बुद्धि के क्षेत्र में तो मुझे भोपाल अधिवेशन में एक नया अनुभव मिला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफसर को दीनदयाल जी का भाषण सुनाने के लिये मैं ले गया। भाषण सुनकर लौटे तो वह कहने लगे ''डा. जोशी, यह आदमी, आदमी कहाँ हैं? यह तो बुद्धि है साक्षात्। इसमें मुझे शरीर नजर नहीं आती। ऊपर से नीचे तक केवल बुद्धि ही बुद्धि है और कुछ है ही नहीं।'' मैंने कहा अभी तक तो आपने केवल उनके बहिरंग का ही स्पर्श किया है, आगे चलेंगे तो आपको शायद पता लगेगा कि पंडित जी में बुद्धि से और आगे जो 'तत्त्व' नाम की वस्तु है, केवल वह तत्व ही तत्व भरा है, वह बुद्धि से भी परे है। उनकी बुद्धि की प्रगल्भता, विद्वता, उनका अध्ययन, विषय का प्रतिपादन करने के उनके निराले ढंग में प्रकट होती थी। उनकी अपनी एक विशेष शैली थी। वैसे तो वे प्रकृति से, मेरे विचार में, अध्यापक थे। वे अध्यापन-कार्य करते होते तो निश्चय ही आज भारत के सर्वाधिक सफल अध्यापकों में उनका नाम रहा होता। कठिन से कठिन विषय को सरल शब्दों में, और ऐसे सहज भाव में जटिल से जटिल विचार वे समझा देते थे कि सामान्य व्यक्ति भी उसे अच्छी तरह समझ जाता था। बड़े से बड़े अधिवेशनों में, आठ-आठ, दस-दस हजार कार्यकर्ताओं के समूह में, उलझे से उलझे विषय को जहाँ पंडित दीनदयाल जी ने स्पर्श किया, ऐसा लगता था मानो विषय निर्मल हो गया, स्फटिक की भांति स्वच्छ हो गया, इसमें कहीं कोई उलझाव नहीं रहा, कहीं कोई जटिलता नहीं रही। लोग कहते थें-अरे यह तो एक बिल्कुल सरल बात है, इतनी सी सीधी बात हम पहले क्यों नहीं समझ पाये, वाह! मेरे विचार से ऐसा तभी संभव होता है, जब व्यक्ति विचार के साथ अत्यन्त गहरा तादात्म्य प्राप्त कर लेता है। जब उसमें और विचार में कोई अन्तर नहीं रह जाता, तब वह उस तात्विक मीमांसा के हर पहलू को, उसके हर पक्ष को बड़ी सरलता के साथ, सबके सामने स्पष्ट कर सकता है।

...शेष अगले अंक में

सम्पूर्ण देश उनका घर था

- अटल बिहारी वाजपेयी

पंडितजी का जीवन एक समर्पित जीवन था। शरीर का कण-कण और जीवन का क्षण-क्षण उन्होंने राष्ट्रदेव के चरणों में चढ़ा दिया था। संपूर्ण देश उनका घर था, सारा समाज उनका परिवार। उनकी आंखों में एक ही सपना था, उनके जीवन का एक ही व्रत था।

राजनीति उनके लिए साधन थी, साध्य नहीं। यह मार्ग था, मंजिल नहीं। वे राजनीति का आध्यात्मीकरण चाहते थे। वे भारत के उज्ज्वल अतीत से प्रेरणा लेते थे तथा उज्ज्वलतर भविष्य का निर्माण करना चाहते थे। उनकी आस्थाएं सदियों पुराने अक्षय राष्ट्रजीवन की जड़ों से रस ग्रहण करती थीं, किंतु वे रूढ़िवादी नहीं थे। भविष्य के निर्माण के लिए वे भारत को समृद्धशाली आधुनिक राष्ट्र बनाने की कल्पना लेकर चले थे।

वे महान चिंतक थे। चिंतन के क्षेत्र में बंधे-बंधाये रास्ते से चलने के हामी नहीं थे। इसलिए उन्होंने भारतीय जनसंघ का ऐसा स्वरूप विकसित किया जो अतीत की गौरव गरिमा को लेकर चलता है और जो आने वाले कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी सन्नद्ध है।

उन्हें कभी किसी पद ने मोहित नहीं किया। वे संसद के सदस्य नहीं थे लेकिन संसद सदस्यों के निर्माता थे। उन्होंने कभी पद नहीं चाहा। बड़ी मुश्किल से उन्हें अध्यक्ष पद का भार संभालने के लिए तैयार किया था। उन्होंने प्रेरणा दी कि चलो विंध्याचल के पार कन्याकुमारी पर, जहां भारत माता के चरणों को सिंधु धो रहा है, भारत की एकता का जागरण मंत्र फूकें। उनके नेतृत्व में हमने आसेतु हिमाचल भारत की एकात्मता को गुंजाने का संकल्प किया। कालीकट अधिवेशन हुआ। हम वहां गए। उनकी अध्यक्षता में अधिवेशन सफल हुआ। लोगों ने कहा कि जनसंघ ने कार्यसिद्धि का ऐतिहासिक दृश्य उपस्थित किया। जनता की आंखें आशा और विश्वास के साथ उन पर जा लगी थीं। देश और विदेश के लोगों ने कहा कि कालीकट में जनसंघ ने नया रूप धारण किया है। परंतु जनसंघ ने नया रूप नहीं धारण किया-देखने वालों की आंखों में बदल आया था। उन्हीं आखों में कुछ आंखें ऐसी थीं जिनमें पाप था, जलन थी, जिनमें हिंसा की चिंगारी सुलग रही थी। उन आंखों को यह दृश्य चुभा और आज पंडित दीनदयालजी को हमसे विलग कर दिया। किन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई, कोई विश्वासपूर्वक नहीं कह सकता। जिसके इशारे पर लाखों लोग जान देने के लिए तैयार थे, सन्नद्ध थे, उसे रात के अंधेरे में अपने अनुयायियों से दूर, देशवासियों से पृथक् मौत की गोद में, काल के गाल में ढकेल दिया। ■

मुद्दा: 'वन रैंक, वन पेंशन'

प्रधानमंत्री ने पूर्व सैनिकों से किया अपना वादा निभाया : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की राजग सरकार द्वारा 'वन रैंक, वन पेंशन' सिद्धांत को स्वीकार करने के निर्णय का स्वागत किया है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्वसैनिकों से किया अपना वादा निभाते हुए यह ऐतिहासिक फैसला किया है और इससे देश के पूर्वसैनिकों को लाभ होगा।

भाजपा अध्यक्ष ने 5 सितम्बर 2015 को कहा कि भारत सरकार ने 40 वर्ष पुरानी पूर्व सैनिकों की 'वन रैंक, वन पेंशन' की माँग को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा की ओर से देश के सेवानिवृत्त जवानों को हृदय से बधाई देता हूँ और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए अभिनन्दन करता हूँ।

श्री शाह ने आगे कहा, ''सन् 1973 में तात्कालिक कांग्रेस सरकार ने सेना के रिटायर्ड जवानों के पेंशन को 70 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया था, तभी से 'वन रैंक, वन पेंशन' की माँग उठी थी। लम्बे समय तक सेना के जवानों ने इस अधिकार के लिए संघर्ष किया। जब 2014 के लोक सभा चुनाव में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने पूर्व सैनिकों को आश्वस्त किया था कि जैसे ही हमारी सरकार केंद्र में बनती है, हम उन पर त्वरित निर्णय लेंगे और उसको लागू करेंगे और जैसे ही केंद्र में भाजपा की सरकार बनी, हमने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी।

''ओआरओपी योजना को लागू कर मोदी सरकार ने आखिरकार चार दशक पुरानी समस्या हल कर दी है जिसे पूर्ववर्ती सरकारें टालती आ रही थीं। पूर्वसैनिकों के लिए आज खुशी का दिन है क्योंकि उनकी मांगे मान ली गईं हैं।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा सैनिकों को तथा जो सैनिक आज हमारे बीच नहीं हैं उनकी पत्नी को और शारीरिक रूप से अक्षम सैनिकों को होगा। उन्होंने कहा कि पूर्वसैनिकों की विधवाओं को एक ही किश्त में ओआरओपी का पूरा एरियर मिलेगा।

श्री शाह ने कहा, ''ओआरओपी योजना को लागू कर मोदी सरकार ने आखिरकार चार दशक पुरानी समस्या हल कर दी है जिसे पूर्ववर्ती सरकारें टालती आ रही थीं। पूर्वसैनिकों के लिए आज खुशी का दिन है क्योंकि उनकी मांगे मान ली गई हैं। सहज कार्यान्वयन के लिए सरकार एक समीक्षा समिति का भी गठन कर रही है।''

श्री शाह ने कहा कि 1973 से 2010 तक लगभग चार दशकों तक किसी भी सरकार ने ओआरओपी की ओर ध्यान नहीं दिया। पूर्वसैनिकों ने 2010 में जब 'वन रैंक वन पेंशन' (जिसका अर्थ है कि समान अवधि तक सेवा के उपरांत समान रैंक से सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति के बराबर पेंशन) की मांग पुन: उठाई तो संप्रग सरकार ने 2014 के लोक सभा चुनाव से ठीक कुछ समय पूर्व तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 17 फरवरी 2014 के बजट में वित्त वर्ष 2014-15 के लिए मात्र 500 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया जो कि एक मजाक की तरह था।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लालकिले की प्राचीर से भी ओआरओपी को सिद्धांतत: लागू करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने मात्र 15 महीने के कार्यकाल में ही चार दशक पुरानी पूर्वसैनिकों की मांग को स्वीकार कर लिया है जो सराहनीय है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के इस नीतिगत निर्णय से पूर्व सैनिकों को एक आर्थिक सुरक्षा चक्र प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के तहत इस पेंशन योजना से सेना के सेवानिवृत्त जवानों को 9 से 10 हजार करोड़ का अतिरिक्त फायदा होगा।

उन्होंने कहा, ''हम सब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आभारी हैं कि उन्होंने आज ऐतिहासिक निर्णय करके भारतीय सैनिकों के प्रति अपनी भावनाओं को प्रदर्शित किया है। लालकिले से किये वायदे को पूरा करने के लिए माननीय नरेन्द्र मोदी जी को बहुत-बहुत बधाई।"

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मैं देश के रक्षामंत्री और सेना के रिटायर्ड जवानों को एक बार पुन: 'वन रैंक, वन पेंशन' लागू होने पर बधाई देता हूँ। ■

भूमि अध्यादेश : स्वाभाविक जवाब

–अरुण जेटली

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुन:अधिवास में पारदर्शिता और मुआवजा का अधिकार अधिनियम 2013 में संशोधन के लिए लाया गया अध्यादेश 31 अगस्त, 2015 को समाप्त हो चुका है। अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाला विधेयक संसद की स्थायी समिति के समक्ष विचार के लिए लंबित है। भारत में भूमि अधिग्रहण कानून की प्रकृति और भविष्य के संबंध में सवाल उठाए जा रहे हैं।

2013 का अधिनियम

मेरा विचार रहा है कि 2013 के कानून के मसौदे को सही ढंग से तैयार नहीं किया गया। इसमें ढेर सारी अस्पष्टता और प्रत्यक्ष त्रुटियाँ हैं। इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों का प्रभाव उसमें प्रयुक्त भाषा के विपरीत है। अगर इस अधिनियम को गंभीरता से लागू किया जाता है तो कई कानूनी कठिनाईयां पैदा हो सकती है। अधिनियम के प्रावधान ग्रामीण बुनियादी ढांचे के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में रुकावट पैदा करने का काम करेंगें और यह आगे औद्योगीकरण से उन क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के सृजन की राह को भी अवरुद्ध करेंगे। इन्हीं विसंगतियों को दूर करना केंद्र सरकार का प्रमुख उद्देश्य था और इसलिए इस अधिनियम में संशोधन करने के उद्देश्य से 31 दिसंबर, 2014 को अध्यादेश जारी किया गया।

कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने यह तर्क दिया है कि 2013 का कानून भूमि अधिग्रहण से पहले किसानों की सहमति

2013 का कानून पूरी अधिग्रहीत भूमि को पांच वर्ष की अवधि के भीतर उपयोग के लिए बाध्य करता है। शहरों या नगरों का निर्माण पांच वर्ष के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता। चूंकि विसंगतियों और त्रुटियों से भरे मसौदे में कुछ महत्वपूर्ण सुधार आवश्यक थे, ज्यादातर राज्य सरकारों ने 2014 में वर्तमान केन्द्र सरकार से अनुरोध किया कि इन संशोधनों को तुरंत किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों के अनुरोध पर ही 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन जारी किया गया था।

बनाने के लिए प्रदान करता है जबकि 2015 के कानून में किसानों की इस अनिवार्य सहमति को छीन लिया है। यह 2013 के कानून की धारा 2 (1) की भाषा के विपरीत है। राष्ट्रीय सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, कृषि प्रसंस्करण, औद्योगिक गलियारों, जल संचयन, सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, खेल और पर्यटन सुविधाओं, पुनर्वास परियोजना प्रभावित परिवारों, आवास परियोजनाओं, गांवों आदि योजनाओं के नियोजित विकास के लिए कोई सहमति आवश्यक नहीं है। यह धारा दो की उपधारा दो में ''भी'' शब्द का इस्तेमाल कर आंशिक रूप से इसका प्रभाव कमजोर कर दिया है जहां यह धारा 2(1) पर सहमति प्रावधानों के लागू न होने के संबंध में मसौदा तैयार करने वालों के मन में भ्रम की स्थिति को इंगित करता है। इस त्रुटि को सही करने की जरूरत थी।

'सामाजिक प्रभाव का आकलन' और उसमें उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों से संबंधित प्रावधान के लिए एक बड़ी समय सारिणी की जरूरत है जो कई वर्षो तक जा सकता है। समय प्रावधानों की भाषा समय अवधि के 'अंतर्गत' शब्द का उपयोग करता है। इस समय सीमा को छोटा या कुछ मामलों में इसमें छूट दिए जाने की आवश्यकता है।

2013 का कानून पूरी अधिग्रहीत भूमि को पांच वर्ष की अवधि के भीतर उपयोग के लिए बाध्य करता है। शहरों या नगरों का निर्माण पांच वर्ष के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता। चूंकि विसंगतियों और त्रुटियों से भरे मसौदे में कुछ महत्वपूर्ण सुधार आवश्यक थे, ज्यादातर राज्य सरकारों ने 2014 में वर्तमान केन्द्र सरकार से अनुरोध किया कि इन संशोधनों को तुरंत किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों के अनुरोध पर ही 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन जारी किया गया था। हालांकि, अध्यादेश के जारी होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थिति बदल ली और राजनीतिक कारणों के लिए वह अध्यादेश का विरोध करना चाहते थी। अध्यादेश को दो और मौकों पर फिर से जारी किया गया लेकिन राजनीतिक गतिरोध

जारी रहा तथा विधेयक में आवश्यक संशोधन संसद की स्थायी समिति के समक्ष लंबित है। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के तत्वावधान में फिर से मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों का यह मत था कि यदि केंद्र में गतिरोध जारी रहता है तो राज्यों को कुछ सुविधाएँ दी जाए, राज्यों को अपने स्वयं के संशोधन को लाने का अधिकार मिलना चाहिए।

क्या केन्द्र सरकार के अधिनियम में राज्य संशोधन ला सकते हैं?

संपत्ति का अधिग्रहण समवर्ती सूची में प्रदान की गई सूची III, प्रविष्टि 42 का विषय है। आर्टिकल 254 का प्रावधान (2) स्पष्ट रूप से एक राज्य सरकार द्वारा समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र से टकराव की स्थिति में एक कानून लाने की अनुमति प्रदान करता है और ऐसे कानून को राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। अत: राज्य पूरी तरह से 2013 के भूमि कानून में संशोधन के लिए सशक्त है और उन्हें इस कानून को लागू करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है। नीति आयोग द्वारा बुलाई गई बैठक में इस बात पर सहमति बन गई है। एक राज्य में पहले से ही संशोधन लाया गया है और कुछ अन्य ऐसा करने वाले हैं।

राज्य अधिग्रहण के लिए आवश्यक भूमि के लिए वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान कर सकते हैं जो किसानों के हितों को संतुलित करता हो।

क्या केंद्र सरकार ने रोलबैक किया है?

2013 के कानून की धाराओं के लिए अध्यादेश के द्वारा जो संशोधन लाए गए हैं उसे धारा 10 ए में शामिल कर लिया गया है। धारा 10 ए के प्रावधान के तहत राज्य धारा 10 ए में वर्णित किसी या सभी उद्देश्यों के लिए सहमति प्रदान कर सकते हैं और सहमति तथा सामाजिक प्रभाव आकलन के प्रावधानों में छूट दे सकते हैं। इसलिए अध्यादेश में यह राज्यों के विवेक के ऊपर छोड़ दिया गया है कि क्या वे पांच प्रयोजनों में से किसी की भी अधिसूचना जारी करना चाहते थे। अध्यादेश में स्थिति यथावत बनी हुई है। नीति आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में, राज्य सरकारों अभी भी इतना तय करने के लिए सशक्त हैं। इससे पहले, अध्यादेश के तहत प्रतिनिधिमंडल ने भी संविधान के अनुसार भूमि को समवर्ती विषय माना और राज्य राष्ट्रपति के अनुमोदन से कानून में संशोधन कर सकते हैं।

2013 के कानून की धाराओं के लिए अध्यादेश के द्वारा जो संशोधन लाए गए हैं उसे धारा 10 ए में शामिल कर लिया गया है। धारा 10 ए के प्रावधान के तहत राज्य धारा 10 ए में वर्णित किसी या सभी उद्देश्यों के लिए सहमति प्रदान कर सकते हैं और सहमति तथा सामाजिक प्रभाव आकलन के प्रावधानों में छूट दे सकते हैं। इसलिए अध्यादेश में यह राज्यों के विवेक के ऊपर छोड़ दिया गया है कि क्या वे पांच प्रयोजनों में से किसी की भी अधिसूचना जारी करना चाहते थे। अध्यादेश में स्थिति यथावत बनी हुई है। नीति आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में, राज्य सरकारों अभी भी इतना तय करने के लिए सशक्त हैं।

2015 के अध्यादेश का उद्देश्य राज्य को कुछ निश्चित सुविधाएँ देना था। वे अपनी आवश्यकताओं को बेहतर जानते हैं। मुख्यमंत्रियों की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत अब भी उनको ये सुविधाएँ प्राप्त हैं। अत: वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

(अ) 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून प्रभाव में है।

(ब) विधेयक स्थायी समिति के विचार के लिए लंबित है और यदि कुछ आम सहमति से सुझाव आते हैं, तो उन्हीं सुझावों को लागू किया जाएगा।

(स) कि कोई भी राज्य अगर केंद्रीय कानून में कुछ संशोधन करना चाहता है तो केन्द्र सरकार द्वारा इसकी अनुमति दी जाएगी।

धारा 105 के तहत क्या अधिसूचना लाना आवश्यक था?

2013 के कानून की धारा 105 ने अधिनियम के प्रावधानों के लिए लागू प्रयोज्यता में से अधिनियम की अनुसूची IV में सूचीबद्ध 13 विधानों को मुक्त कर दिया था। उन्हें सहमति और सामाजिक प्रभाव आकलन प्रावधानों से छूट दी गई थी। उन्हें अतिरिक्त मुआवजा, राहत और पुनर्वास के प्रावधानों से भी छूट दे दी गई थी। इस धारा के तहत एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता जो अधिसूचित 13 कानूनों के उपयुक्त मुआवजा, राहत और पुनर्वास के प्रावधानों को लागू करेगा। इस अतिरिक्त बढ़ी हुए मुआवजा राशि को अध्यादेश में शामिल किया गया था। चूंकि अध्यादेश में संशोधन विगत 31 अगस्त 2015 को समाप्त हो गया है, यह 31 अगस्त 2015 से पहले केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के ऊपर निर्भर है। यह अब कर दिया गया है। ■

(लेखक केंद्रीय वित्त एवं सूचना प्रसारण मंत्री हैं।)

सेवा का सही सम्मान

राजीव चंद्रशेखर

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) की घोषणा लाखों पूर्व सैनिकों, उनके परिजनों और युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाओं के 40 साल के इंतजार और संघर्ष का नतीजा है। यह निर्णय ओआरओपी को आजाद भारत में किसी सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए सबसे बड़ा और उल्लेखनीय कल्याणकारी कदम बनाता है और इस महत्वपूर्ण वादे को पूरा करने का श्रेय निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर, वित्तमंत्री अरुण जेटली और सरकार को जाना चाहिए। ओआरओपी पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों की विधवाओं की दशकों की सेवाओं और त्याग के लिए अपने देश की तरफ से आभार प्रकट करना है। सशस्त्र सेनाओं के जवान विशेष परिस्थितियों में अपनी सेवाएं देते हैं। वे अपने परिवारों से दूर रहते हैं और काफी कम उम्र में सेवा से अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। ओआरओपी पूर्व सैनिकों के प्रति उठाया गया बिल्कुल सही कदम है।

अगर चार दशक पुराने संघर्ष के इतिहास और इस कल्याणकारी कदम को उठाने में सरकार के लिए वित्तीय निहितार्थ को हम समझ लें तो इस सरकार द्वारा ओआरओपी को लागू करने के निर्णय का महत्व समझ सकते हैं। सभी देश और उनके लोग अपने पूर्व और कार्यरत सैनिकों को प्यार, सम्मान और आदर देते हैं। इस मुद्दे पर 25 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को लेकर हमारा व्यवहार और उत्तरदायित्व निराशाजनक रहा है और उसे किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये लोग और उनके परिजन इस यकीन के साथ देश की नि:स्वार्थ सेवा करते हैं कि जब मौका आएगा, देश उनकी देखभाल करेगा। पिछली दो संप्रग सरकारों के वरिष्ठ नेताओं का ओआरओपी पर जो रवैया रहा, उसे मैंने नजदीक से देखा है। इस कारण मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले दस साल के दौरान सरकार में रहते हुए इस मामले को हल करने में उन लोगों की कोई रुचि नहीं थी। इस अवधि में इसे सुलझाने की न तो उन्होंने राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई, न हिम्मत। और अब जब ओआरओपी का कार्यान्वयन हो रहा है तो वे जिस तरह इसका श्रेय लूटने का प्रयास कर रहे हैं, वह दुखद ही नहीं, हास्यास्पद भी है। केवल वन रैंक वन पेंशन ही नहीं, बल्कि सशस्त्र बलों और पूर्व सैनिकों से संबंधित तमाम मामलों में संप्रग सरकार का रवैया दयनीय था। बात चाहे सशस्त्र बलों के लिए मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने की हो अथवा राष्ट्रीय सैन्य स्मारक के निर्माण की या फिर मोर्चे पर तैनात सैन्य बलों के लिए ईंधन के आवंटन में कटौती की–इन सभी में संप्रग सरकार ने अपने रवैये से निराश करने का ही काम किया।

संप्रग सरकार ने न केवल वन रैंक वन पेंशन के मामले में लंबे समय तक उदासीनता का परिचय दिया, बल्कि 2014 के आम चुनाव के ऐन पहले हड़बड़ी में इससे संबंधित घोषणा भी कर दी। संप्रग सरकार ने तब इस योजना के लिए महज पांच सौ करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया। चुनाव के ठीक पहले राजनीतिक लाभ के लिए किए गए इस फैसले का खोखलापन इस तथ्य से ही जाहिर होता है कि वन रैंक वन पेंशन की योजना पर अमल के लिए केंद्र सरकार को साढ़े आठ हजार करोड़ से लेकर दस हजार करोड़ रुपये तक खर्च करने होंगे। मोदी सरकार ने जिन परिस्थितियों में यह फैसला लिया वह सराहना के काबिल है। भारतीय अर्थव्यवस्था में यद्यपि सुधार हो रहा है, लेकिन यह अभी भी संतोषजनक नहीं

संप्रग सरकार ने न केवल वन रैंक वन पेंशन के मामले में लंबे समय तक उदासीनता का परिचय दिया, बल्कि 2014 के आम चुनाव के ऐन पहले हड़बड़ी में इससे संबंधित घोषणा भी कर दी। संप्रग सरकार ने तब इस योजना के लिए महज पांच सौ करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया। चुनाव के ठीक पहले राजनीतिक लाभ के लिए किए गए इस फैसले का खोखलापन इस तथ्य से ही जाहिर होता है कि वन रैंक वन पेंशन की योजना पर अमल के लिए केंद्र सरकार को साढ़े आठ हजार करोड़ से लेकर दस हजार करोड़ रुपये तक खर्च करने होंगे। मोदी सरकार ने जिन परिस्थितियों में यह फैसला लिया वह सराहना के काबिल है।

कही जा सकती, क्योंकि अस्थिरता का भाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि इस आर्थिक परिदृश्य में भी मोदी सरकार ने महज 16 माह में ही एक ऐसा फैसला कर लिया जिसका व्यापक आर्थिक-वित्तीय असर होगा। वन रैंक वन पेंशन ने राष्ट्र सेवा और देश प्रेम के प्रति सरकार और समस्त देश की प्रतिबद्धता का ही संदेश दिया है। जब हम एक मजबूत-सशक्त और सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए प्राण-पण से जुटे हुए हैं तब इन गुणों से कभी समझौता नहीं किया जा सकता। जो लोग सशस्त्र सेनाओं का हिस्सा बनकर देश की सेवा कर रहे हैं उन्हें यह संदेश दिया गया है कि देश और उसके लोग हमेशा उनके और उनके परिवार के पीछे खड़े हैं।

मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से वन रैंक वन पेंशन की योजना लागू करने की घोषणा विशेष महत्व रखती है। आखिर यह ओआरओपी पर नौ साल तक चले संघर्ष का सार्थक अंत है। हमने इस संघर्ष की शुरुआत उन काले दिनों से की थी जब 2006 में पूर्व सैनिकों ने अपनी इस मांग को लेकर अपने पदक लौटाने की घोषणा की थी। मैंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने के बाद जिन कुछ मुद्दों को अपने हाथ में लिया था उनमें ओआरओपी शीर्ष पर था। स्वाभाविक रूप से मेरे लिए यह समय बेहद संतोष का समय है। जिस दिन मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की योजना लागू करने की घोषणा की थी वह मेरे लिए, विशेषकर मेरे राजनीतिक जीवन के लिए बहुत बड़ा दिन था। मैंने इस मामले को संसद और मीडिया में इस हद तक उठाया कि कई राजनेता मुझे ओआरओपी राजीव तक कहने लगे। मुझे बेंगलुरु और दिल्ली के जंतर मंतर में अनेक पूर्व सैनिकों के साथ विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने और धरने पर बैठने का गौरव भी मिला। बीएस कोश्यारी की अध्यक्षता वाली राज्यसभा की समिति में 2011 में यह मेरी ही याचिका थी जिस पर सशस्त्र बलों के सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन के प्रस्ताव को संसद की सहमति मिली।

ओआरओपी नि:संदेह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, लेकिन यह यात्रा का अंत नहीं है। सरकार को सैनिकों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता और चिंता पर जोर देना चाहिए। अभी बहुत सारे मामले हैं जिन पर कदम उठाया जाना जरूरी है। इनमें से एक है नई दिल्ली में राष्ट्रीय सैन्य स्मारक के लिए स्थान का चयन और इसके निर्माण का काम शुरू किया जाना।

ओआरओपी नि:संदेह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, लेकिन यह यात्रा का अंत नहीं है। सरकार को सैनिकों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता और चिंता पर जोर देना चाहिए। अभी बहुत सारे मामले हैं जिन पर कदम उठाया जाना जरूरी है। इनमें से एक है नई दिल्ली में राष्ट्रीय सैन्य स्मारक के लिए स्थान का चयन और इसके निर्माण का काम शुरू किया जाना। इसी तरह युद्ध स्मारकों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग भी बनाया जाना है। मैंने 2011 में एक निजी विधेयक के रूप में राज्यसभा में सशस्त्र सेना अनुबंध के रूप में एक मसौदा प्रस्तुत किया था। इस विधेयक को भी पारित किया जाना है। यह मसौदा सैनिकों को यह भरोसा दिलाने के लिए है कि राष्ट्र उनकी सेवा और बलिदान का सच्चा सम्मान करता है और पूरा देश उनके पीछे खड़ा है।

वन रैंक वन पेंशन ने राष्ट्र सेवा और देश प्रेम के प्रति सरकार और समस्त देश की प्रतिबद्धता का ही संदेश दिया है। जब हम एक मजबूत-सशक्त और सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए प्राण-पण से जुटे हुए हैं तब इन गुणों से कभी समझौता नहीं किया जा सकता। जो लोग सशस्त्र सेनाओं का हिस्सा बनकर देश की सेवा कर रहे हैं उन्हें यह संदेश दिया गया है कि देश और उसके लोग हमेशा उनके और उनके परिवार के पीछे खड़े हैं।

अंत में यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक नेतृत्व बिना किसी संदेह के आजादी के बाद से अब तक सबसे अधिक सैन्य समर्थक नेतृत्व साबित हुआ है। यह वह बात है जिसे आगे भी बनाए रखने और मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि सेनाओं, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का मनोबल बढ़े। अब जबकि चालीस साल पुराना मामला समाप्त हो गया है तब मैं राष्ट्रपति और सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर प्रणब मुखर्जी से अपील करता हूं कि वह हस्तक्षेप करें और उन सैनिकों को अपने पदक फिर से लेने के लिए राजी करें जिन्होंने वन रैंक वन पेंशन के लिए संघर्ष के दौरान उन्हें वापस कर दिया था। ■

(लेखक राज्यसभा के सदस्य हैं।)

(साभार- दै. जागरण)

प्रधानमंत्री की शिक्षक दिवस की पूर्व-संध्या पर स्कूली बच्चों से बातचीत

शिक्षक सभी छात्रों को महत्वपूर्ण मानें : नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री ने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर स्मारक सिक्का जारी किया और कला उत्सव नामक वेबसाइट का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 4 सितंबर को शिक्षक दिवस की पूर्व-संध्या पर देश-भर के स्कूली बच्चों के साथ बातचीत की। खुद स्कूली बच्चों द्वारा पूर्णरुप से इस बेजोड़ आयोजन में प्रधानमंत्री ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर 125 रुपए और 10 रुपए मूल्य के स्मारक सिक्के जारी किए। प्रधानमंत्री ने कला उत्सव नामक एक वेबसाइट का भी शुभारंभ किया, जो देश के माध्यमिक स्तर पर स्कूली छात्रों की कलात्मक प्रतिभा के पोषण और प्रदर्शन द्वारा शिक्षा में कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है।

इस अवसर पर अपनी शुरुआती टिप्पणियों में प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक दिवस की पूर्व-संध्या पर स्कूली बच्चों के साथ बातचीत करने का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक को उनके छात्रों की उपलब्धियों द्वारा जाना जाता है। उन्होंने कहा कि मां तो जन्म देती हैं, किन्तु शिक्षक ही वास्तविक जीवन प्रदान करते हैं।

प्रधानमंत्री ने बताया कि शिक्षक और छात्र दोनों का एक-दूसरे के लिए अद्वितीय महत्व है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को भी अनेक बच्चों के साथ अपने अनुभवों के बारे में लिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक सभी छात्रों को महत्वपूर्ण मानें और उन सभी को याद रखें- ना कि केवल शैक्षिक तौर पर विशिष्टता दर्शाने वाले को ही।

प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम को याद करते हुए कहा कि डॉ. कलाम एक शिक्षक के रूप में याद किया जाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि डॉ. कलाम को अध्यापन का शौक था और अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक भी उन्होंने छात्रों के साथ बातचीत की थी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आज के समय भी महान शिक्षक हैं, जो अभियंताओं, चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को तैयार करने में मदद कर रहे हैं, जो विश्व भर में अपना स्थान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक का लक्ष्य रोबोट बनाने के बदले एक पूरी पीढ़ी का पोषण करना चाहिए।

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी और केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री उपेन्द्र कुशवाहा, श्री राम शंकर कठेरिया और श्री जयंत सिन्हा इस अवसर पर उपस्थित थे। ■

व्यष्टि व समष्टि और एकात्म मानववाद

– डॉ. विजेन्द्र सिंह गुप्त

भारत राष्ट्र की प्रकृति और उसका आदर्श

एकात्म मानववाद हमारा मूल दर्शन है। हम यहां दीनदयाल शोध संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका मंथन (जुलाई 1979) से साभार यह लेख प्रकाशित कर रहे हैं। गतांक में लेख का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था। प्रस्तुत है अंतिम भाग:

भारत की मूल प्रकृति धार्मिक है। भारत के प्राण धर्म में हैं। धर्म का अर्थ आराधना-पद्धति या पूजा-पद्धति नहीं है। इस स्थल पर यदि पं. दीनदयाल उपाध्याय के ही शब्दों को उद्धृत किया जाय तो उचित होगा। ''धर्म की जो साधारण व्याख्या की गयी है, वह व्याख्या है 'धारणात् धर्म विज्ञाति', कि धारण से धर्म है। यानी, जिस वस्तु के कारण, जिस शक्ति के कारण, जिस भाव के कारण, जिन नियमों के कारण, जिस व्यवस्था के कारण कोई वस्तु टिके, वह धर्म है और इसलिये सम्पूर्ण प्रजा, जनसमाज और उससे भी यदि आगे बढ़ता हो तो सृष्टि, की भी धारणा धर्म के द्वारा होती है। जिससे ये टिके हैं, वह धर्म है। धर्म हट जाये तो वह वस्तु टिकेगी नहीं, वह समाप्त हो जायेगी।'' भारतीय विचारकों द्वारा उस धर्म व व्यवस्था पर विचार किया गया, जो भारत राष्ट्र को धारण कर सके। जो व्यवस्था राष्ट्र को पतित कर दे और राष्ट्र को तिरोहित कर दे, वह धर्म नहीं है। भारत में धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। राष्ट्र में स्थापित होने वाली सभी संस्थाएं धर्म के अधीन रहनी चाहिए। यहाँ तक कि राजनीतिक व्यवस्था भी धर्म के अन्तर्गत व धर्म के अनुकूल ही स्थापित होनी चाहिए। राज्य यद्यपि महत्वपूर्ण है, परन्तु धर्म से परे नहीं। ...राज्य तो धर्म के विभिन्न अवयवों एवं अंगों में से एक है; निस्संदेह वह महत्वपूर्ण है, परन्तु धर्म से ऊपर नहीं। वह धर्म के अधीन है। सार्वभौमिकता तो धर्म की है। धर्म ही राष्ट्र को शक्ति प्रदान करता है। संविधान भी धर्म के अनुकूल ही होना चाहिए। धर्म राष्ट्र की 'चिति' का संग्रहालय है। यदि धर्म नष्ट हो जाता है, तो राष्ट्र का भी नाश हो जाता है।''

भारतीय विचारकों के मनन का उद्देश्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की खोज रही है, जो सर्वथा न्यायपूर्ण हो। न्यायपूर्ण वह स्थिति है, जो पूरी तरह से प्राकृतिक और स्वाभाविक है। जो नाटकीय व प्रकृति-विरुद्ध है, वह अन्यायपूर्ण है। हमारा अपना धर्म वही है जो हमारे लिये अधिकतम स्वाभाविक है। व्यक्ति की कुछ अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की इन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, इसीलिये सब पर कुछ नियंत्रण रखना अपेक्षित होता है। सामाजिक व्यवस्था इसी का परिणाम है।

धर्म उस सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार है। धर्म व्यक्ति को निर्देशित करता है कि आवश्यकताओं की पूर्ति में और सामाजिक व वैयक्तिक प्रगति में संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है। प्लेटो के न्याय-सिद्धान्त का आधार भी वास्तव में भारतीय दर्शन है, जिसके द्वारा यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक व्यवस्था में एक निश्चित व निर्दिष्ट भूमिका है। यह भूमिका ही उसके लिये सबसे अधिक स्वाभाविक व प्राकृतिक है। सामाजिक सावयव में प्रत्येक अवयव अपनी स्वयं की भूमिका का निर्वाह करे और अन्य अवयवों के लिये हानिकर न हो, यही न्यायपूर्ण स्थिति है। न्याय में व आवश्यकताओं की पूर्ति में भी एक घनिष्ट संबंध है। यदि न्याय नही है तो आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं है।

व्यक्ति की आवश्यकताएं मात्र आर्थिक ही नही है। पं. दीनदयाल उपाध्याय का कहना है कि ''हम व्यक्ति को शरीर की भौतिक आवश्यकताओं का पुंज ही नहीं मानते। हमने उसकी बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को भी महत्व दिया है। परन्तु पश्चिम में अधिकांश लोग शरीर की भौतिक आवश्यकताओं को ही महत्व देते हैं। वे शरीर की भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के बीच संघर्ष की स्थिति मानते हैं। इसमें वे भौतिक आवश्यकताओं को प्रमुखता प्रदान करते हैं। यह सत्य है कि व्यक्ति और समाज में संघर्ष के क्षण आते हैं, परन्तु यह स्थिति अस्वाभाविक है, असामान्य है। यह स्थिति धर्म की नहीं, यह तो विकृति है।''

भारत का अपना एक विशिष्ट आदर्श है। इस आदर्श का सृजन उसके संचित अनुभव से हुआ है। भारत के दार्शनिकों ने मनन, चिन्तन व अनुभव द्वारा भारत के आदर्श का पता लगया है। जो चिन्तन भारत की चिति व आदर्श के जितना अनुकूल होता है, वह भारतीय जनमानस को उतना ही अधिक प्रभावित व आन्दोलित करता है। गांधी जी के द्वारा प्रतिपादित कोई भी सिद्धान्त मौलिक नहीं है, परन्तु फिर भी उनके विचारों ने भारतीय जनमानस को सबसे अधिक प्रभावित किया। इसी प्रकार पं. उपाध्याय के विचार भारतीयता से पूरी तरह से ओत-प्रोत हैं, इसलिये इस देश के लोगों के लिये अधिक ग्राह्य हैं।

व्यक्ति की आवश्यकताओं में एकात्मता

भारतीय वाङ्मय में व्यक्ति व उसकी आवश्यकताओं पर टुकडों-टुकड़ों में विचार नहीं किया गया है। व्यक्ति पर समग्र रूप से विचार किया गया है। पंडित उपाध्याय के एक सहयोगी ने लिखा है- ''भारतीय दर्शन के अनुसार पंडित जी ने मानव को एक पूर्ण इकाई के रूप में देखा, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चार मूल प्रेरणाओं से प्रेरित है। उन्होंने इस पुरातन सत्य विचार को वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पृष्ठभूमि में आधुनिक परिधान में प्रस्तुत किया।'' एकात्म मानववाद का विचार पुनर्स्थापित करते हुए पं. दीनदयाल जी ने एक अन्य स्थल पर कहा है कि ''मनुष्य मन, बुद्धि, आत्मा तथा शरीर इन चारों का समुच्चय है। हम उसका टुकड़ों-टुकड़ो में विचार नहीं करते।''

समाज के विभिन्न अंगों में- सावयव के विभिन्न अवयवों में तथा व्यक्ति की विभिन्न प्रेरणाओं- धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष में या आवश्यकताओं में समन्वय की स्थापना ही न्यायपूर्ण स्थिति है। पं. उपाध्याय के इस विचार के संदर्भ में श्री ठेंगड़ी ने हन शब्दों का प्रयोग किया है--''इस प्रकार समाज के सभी अंगों के साथ समान रूप से तथा एक साथ ही, उनमें से किसी एक के साथ भी बिना कोई अन्याय किये, लगाव बनाये रखा जा सकता है। आवश्यकता होती है एक यथार्थवादी तथा भेद-विहीन द्रष्टिकोण की। मानव की भी कल्पना भेद-विहीन रूप में की जानी चाहिए, किसी व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क, दृष्टि एवं आत्मा की कल्पना सम्यक् रूप से ही, न कि अलग-अलग करनी चाहिए।

''इसी आधार पर उपाध्याय जी ने अपने 'समन्वयकारी मानववाद' के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, जो पाश्चात्य देशों की संकुचित एवं सीमाबद्ध विचारधाराओं के ठीक विपरीत है। इन विचारधाराओं के ही कारण जीवन के सभी स्तरों तथा क्षेत्रों में पारस्परिक झगड़े तथा संघर्ष उत्पन्न हो गये हैं। बीज, अंकुर, तना, शाखा, पत्तियां तथा फल एक ही अबाधित विकास-प्रकिया के विभिन्न अंग हैं। उनमें आपस में कोई विपरीतता या अनन्यता नहीं है।''

समन्वय हेतु प्रत्येक अंग व प्रत्येक स्तर पर नियंत्रण व संयम अपेक्षित है। यदि मात्र अधिकारों की बातें कही गयीं तो न्याय की स्थापना असंभव है। अपने एक बौद्धिक में उपाध्याय जी ने कहा था--''पश्चिम मे प्रत्येक अपने अधिकारों की रक्षा के लिये प्रयत्नशील रहता है।..... हमारी प्रेरणा अधिकारों की नहीं, कर्तव्य की है। हम कर्तव्य का आधार लेकर चलते हैं। हम सेवा का विचार करते हैं, अपनी एकात्मता और सहिष्णुता का अनुभव करते हैं।'' कर्तव्य-पालन के बिना धर्म का अस्तित्व व न्यायपूर्ण व्यवस्था दोनों ही समाप्त हो जाते हैं।

प्रजातन्त्रात्मक पद्धति को अधिकारों के साथ जो जोड़ दिया गया, वह इसलिये नहीं कि अधिकारों से ही प्रजातंत्र का अस्तित्व रहता है। प्रजातंत्रात्मक पद्धति के लिये तो कर्तव्य, समन्वय, संयम, धर्म व न्याय और भी अधिक आवश्यक हैं। अधिकारों को प्रजातंत्र में जो इतना महत्व दिया जाने लगा, उसका कारण यह था कि इस पद्धति की स्थापना अधिकारवाद के विरुद्ध विद्रोह के परिणामस्वरूप हुई थी। प्रजातंत्र एक प्रकार से संघर्ष का प्रतीक बन गया और कर्तव्यों के महत्व को भुला दिया गया। प्रजातंत्र का वर्तमान रूप अव्यवस्था व अशान्ति का स्वरूप बन कर रह गया है। इस ने व्यक्ति को जो सबसे बड़ी हानि पहुंचाई है, वह यही है कि उसको केवल अधिकारों के प्रति सचेत व सतर्क किया है और संयम व कर्तव्य के प्रति उदासीन बना दिया है। प्रजातंत्र ने व्यक्ति को यह भुला दिया कि सबकी स्वतंत्रता के लिये सबके द्वारा संयम अपनाया जाना आवश्यक है। स्वार्थी तत्वों ने व्यक्ति की अर्थ व काम की प्रवृत्तियों को प्रेरित किया। वे यह भली प्रकार जानते थे कि लोकप्रिय बनने के लिये उनकी निम्न प्रवृत्तियों को ही प्रेरित करना चाहिए। धर्म या कर्तव्य की बात करने से उनको यह भय था कि वे अलोकप्रिय न हो जायें और सत्ता से वियुक्त न कर दिये जायें।

मानव की यह भूल रही कि उसने अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं में समन्वय स्थापित नहीं किया और केवल भौतिक आवश्यकताओं के पीछे भाग कर उसने स्वयं के लिये ही समस्याओं का एक जाल रच लिया। आज जो मात्र अधिकारों की दुहाई देते हैं, उन्होंने क्या कभी सोचा है कि वे प्रकारान्तर से अपने स्वयं के लिये भी पतन के वातावरण का निर्माण कर रहे हैं? व्यक्ति और समाज के हित अलग-अलग नहीं है, वे तो एक से ही हैं।

''यदि व्यक्ति को स्वतंत्र होना है तो समाज स्वतंत्र चाहिए। व्यक्ति का समर्पण समाज के लिये आवश्यक है। साथ ही व्यक्ति को समर्थ बनने और विकास करने में सब प्रकार की स्वतंत्रता देने का कार्य समाज का है। यह व्यष्टि और समष्टि का संबंध हम लोगों ने स्वीकार किया है। इस प्रकार हम समाजवादी नहीं, समन्वयवादी हैं।'' ■

(समाप्त)

(दीनदयाल शोध संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका 'मंथन-जुलाई 1979' से साभार)

भारतीय वाङ्मय में व्यक्ति व उसकी आवश्यकताओं पर टुकडों-टुकड़ों में विचार नहीं किया गया है। व्यक्ति पर समग्र रूप से विचार किया गया है।... ''भारतीय दर्शन के अनुसार पंडित जी ने मानव को एक पूर्ण इकाई के रूप में देखा, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चार मूल प्रेरणाओं से प्रेरित है। उन्होंने इस पुरातन सत्य विचार को वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पृष्ठभूमि में आधुनिक परिधान में प्रस्तुत किया।''

मन की बात

किसानों के हित सर्वोपरि
निचले स्तर पर नौकरियों में इंटरव्यू नहीं

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को 'मन की बात' कार्यक्रम के तहत रेडियो के जरिये देश को संबोधित किया। रेडियो पर इस कार्यक्रम के तहत दिए अपने 11वें संबोधन में उन्होंने भूमि बिल, गुजरात में हुई हिंसा, विपक्ष की लैंड ऑर्डिनेंस पर सोच और सरकार की तैयारी, 1965 युद्ध, डेंगू की रोकथाम जैसे कई अहम मुद्दों को छुआ। अपने संबोधन में उन्होंने साफ कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए भूमि अधिग्रहण बिल में बदलाव को तैयार है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब सरकार जमीन बिल पर नया अध्यादेश नहीं लाएगी।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का मन इस बारे में बेहद साफ है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए कानून के 13 बिंदुओं को पेश कर रहे हैं जो आज से ही लागू हो जाएंगे। इसको लेकर किसी को भी कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अब सरकार लैंड ऑर्डिनेंस को दोबारा लेकर नहीं आएगी। बावजूद इसके किसानों के हितों को लेकर यदि कोई भी सुझाव आता है तो उस पर विचार जरूर किया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि किसानों को न तो भ्रमित होने की जरूरत है और न ही सरकार ऐसा कुछ काम करेगी जिससे वह भ्रमित हों। उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर किसानों को इस मुद्दे पर भ्रमित करने और भयभीत करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विकास ही हमारी समस्याओं का सही समाधान है साथ ही हमें अफसरशाही के चंगुल से कानून को निकालना होगा।

1965 के युद्ध को पचास वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री का दिया गया 'जय जवान, जय किसान' का नारा सिर्फ नारा ही न बना रहे इसके लिए सभी को जतन करना होगा। भारत के युवाओं को नौकरियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि निचले स्तर पर नौकरियों में इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस तरह के इंटरव्यू से छूट की बात पर बल दिया। गौरतलब है कि यह 11वां मौका था जब वह इस तरह जनता से अपनी बात सभी के समझ रख रहे हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि वह पिछले दिनों सूफी विद्वानों से मिले जिनके जरिए उन्हें इस्लाम को जानने और पहचानने का मौका मिला।

प्रधानमंत्री के संबोधन की मुख्य बातें

- भूमि अधिग्रहण कानून से जुड़े 13 बिंदु अभी से लागू
- भूमि अधिग्रहण बिल पर किसानों को किया गया भ्रमित और भयभीत
- किसानों के हित के लिए भूमि बिल में बदलाव को तैयार
- विपक्ष ने किसानों को किया भ्रमित
- सूफी विद्वानों से मिलकर इस्लाम को जानने का मिला मौका
- 11 करोड़ परिवार सुरक्षा योजना से जुड़े
- जनधन योजना के तहत अब तक खुले 17 करोड़ 77 लाख बैंक खाते
- सिर्फ नारा न बनकर रह जाए 'जय जवान, जय किसान'
- निचले स्तर की नौकरियों में न हों इंटरव्यू
- देशवासियों से की शांति बनाए रखने की अपील
- अमेरिका में रेस अक्रॉस जीतने वाले भाइयों को बधाई दी
- युवा वैज्ञानिकों को आगे आने का आह्वान

डेंगू के प्रकोप को कम करने के लिए उन्होंने एक बार फिर से अपने आस-पास सफाई करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए करीब 514 केंद्र खोले गए हैं जहां पर इसकी दवाएं मौजूद हैं। युवा वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विज्ञान में रुचि लेनी चाहिए। उनका कहना था कि वह पिछले दिनों युवा वैज्ञानिकों से मिले थे। इस मुलाकात में उन्होंने पाया कि वैज्ञानिकों के अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून है।

साथ ही रेस अक्रॉस जीतने वाले भाइयों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरों से भारतीय होने के नाते उनका सीना और चौड़ा हो जाता है। इस जीत पर दोनों भाइयों को बधाई देते हुए उन्होंने इन दोनों के कामों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह दोनों भाई आदिवासियों के लिए काम करते हैं। ■

सरकार ने की 98 स्मार्ट सिटी के नामों की घोषणा

शहरों को स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 27 अगस्त को 98 स्मार्ट सिटी के नामों की घोषणा की दी। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेस में उन 98 शहरों के नाम की घोषणा की जिनकी तस्वीर सरकार बदलने वाली है। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के शहरों के नाम शामिल हैं। इन स्मार्ट सिटी में लखनऊ, वाराणसी, अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ोदरा, ग्रेटर मुंबई, चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरै, भागलपुर और मुजफ्फरपुर शामिल हैं। पहले चरण में इस प्रोजेक्ट के लिए जिन शहरों का चुनाव किया गया उनमें 24 राजधानियां, 24 बिजनेस हब, 19 कल्चरल सेंटर शामिल हैं।

स्मार्ट सिटी योजना के तहत प्रमुख बुनियादी ढांचागत सेवाओं पर ध्यान दिया जाएगा, जिनमें पर्याप्त एवं स्वच्छ जल की आपूर्ति, साफ-सफाई, ठोस कचरे का प्रबंधन, शहरों में आवागमन और सार्वजनिक परिवहन की कारगर व्यवस्था, गरीबों के लिए सस्ते मकान, बिजली की आपूर्ति, सुदृढ़ आइटी कनेक्टिविटी, गवर्नेंस खासकर ई-गवर्नेंस एवं नागरिकों की भागीदारी, नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और टिकाऊ शहरी माहौल शामिल हैं। स्मार्ट सिटी से जुड़ी कार्य योजनाओं को विशेष उद्देश्य वाहन एसपीवी के जरिए क्रियान्वित किया जाएगा। हर शहर के लिए एसपीवी बनाया जाएगा और राज्य सरकारें एसपीवी के लिए संसाधनों का सतत प्रवाह सुनिश्चित करेंगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, 'किसी भी विकसित यूरोपीय शहर जैसी बेहतर क्वालिटी वाला जीवन लोगों को दे पाने में सक्षम होगी।' सभी टॉप 20 शहरों को इस साल वित्तीय मदद दी जाएगी। जबकि जो शहर इस बार नहीं चुने गए हैं उनसे कहा जाएगा कि और मेहनत करें, अपनी कमियों पर ध्यान दें और दूसरे दौर की प्रतियोगिता की तैयारी में लग जाएं।

उत्तर प्रदेश में 13 शहरों को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। इनमें मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा, रामपुर को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में 12 राज्यों को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। इनमें त्रिचुरापल्ली, थंजावोर, तिरुनेलवेली, डिंडीगुल, तिरुपुर, सालेम, वेल्लोर, कोयंबटूर, मदुरई, इरोड़, टुथुकुडी, चेन्नई के नाम शामिल हैं। महाराष्ट्र में 10 शहरों को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। इनमें नवी मुंबई, नासिक, ठाणे, ग्रेटर मुंबई, अमरावती, सोलापुर, कल्याण-डोंबिवली, ओरंगाबाद, पुणे और नागपुर को चुना गया है।

केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार में पोर्ट ब्लेयर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्नम, तिरुपति और काकीनाड़ा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चुना गया है। अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट, असम में गुवाहाटी को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। बिहार में मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ इन 3 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। चंडीगढ़ को भी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चुना गया है। छत्तीसगढ़ में रायपुर और बिलासपुर को चुना गया है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में दीव को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चुना गया है। दादर और नगर हवेली में

सिलवासा को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को भी स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है।

गोवा में पणजी को स्मार्ट सिटी के लिए चुना है और गुजरात में 6 शहरों को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है, इनमें गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट और दाहोद को चुना गया है। हरियाणा में 2 शहरों करनाल और फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला और झारखंड में रांची को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है।

कर्नाटक में 6 शहरों को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है, इनमें मंगलुरू, बेलागावी, शिवमोगा, हुबली धारवाड़, तुमकुरू और देवनगरी को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। केरल में कोचीन और लक्ष्यद्वीप में कारावाट्टी को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 7 शहरों को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। इनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, सतना और उज्जैन के नाम हैं।

मणिपुर में इंफाल, मेघालय में शिलॉन्ग, मिजोरम में आइजॉल, नागालैंड में कोहिमा और उड़ीसा में भुवनेश्वर और राउरकेला को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। पांडिचेरी में ऑल्गेरेट को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। पंजाब में लुधियाना, जालंधर और अमृतसर को स्मार्ट सिटी के लिए चुना है। राजस्थान में 4 शहरों जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। सिक्कम में नामची को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। तेलंगाना में ग्रेटर हैदराबाद और ग्रेटर वारंगल को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। उत्तराखंड में देहरादून और पश्चिम बंगाल में 4 शहरों को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। पश्चिम बंगाल में न्यू टाउन कोलकाता, बिधान नगर, दुर्गापुर और हल्दिया को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। त्रिपुरा में अगरतला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चुना गया है।

दरअसल, सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का संकल्प लिया था, इसलिए बचे हुए 2 शहरों का ऐलान बाद में होगा। जम्मू और कश्मीर पर भी बाद में फैसला लिया जाएगा। यहां बता दें कि 5 साल में इन स्मार्ट सिटीज पर सरकार 96,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर कुल 48,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

हर स्मार्ट सिटी को 5 साल तक केंद्र से सालाना 100 करोड़ रुपये मिलेंगे। पहले चरण में 20 शहर और फिर अगले 2 साल में बाकी शहरों का विकास किया जाएगा। ■

'सबके लिए आवास' योजना के तहत की गई 305 शहरों की पहचान

केंद्र की भाजपानीत राजग सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी 'सबके लिए आवास' योजना का कार्यान्वयन करने के लिए नौ राज्यों के 305 शहरों की पहचान की है। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अनुसार इस योजना के तहत शहरी गरीबों के वास्ते आवास निर्माण की शुरुआत करने के लिए नौ राज्यों में कम से कम 305 शहरों और कस्बों की पहचान की गई है।

लगभग दो करोड़ शहरी गरीबों को उनका खुद का आवास मुहैया कराने के लिए मंत्रालय अगले छह साल में दो लाख करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराएगा। इन चुने गए शहरों में से छत्तीसगढ़ में 36, गुजरात में 30, जम्मू-कश्मीर में 19, झारखंड में 15, केरल में 15, मध्यप्रदेश में 74, ओडिशा में 42, राजस्थान में 40 और तेलंगाना में 34 शहर या कस्बे हैं। केंद्र सरकार की इस 'प्रधानमंत्री आवास योजना' को इस साल 25 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। इसके तहत वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए दो करोड़ मकान बनाए जाने की योजना है।

इन नौ राज्यों के अलावा छह अन्य राज्यों ने मंत्रालय के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर प्रतिबद्धता जताई है कि वे शहरी क्षेत्रों में आवास मिशन को सफल बनाने के लिए आवश्यक छह सुधार लागू करेंगे। सुधार संबंधी उपायों के कार्यान्वयन की प्रतिबद्धता जताने वाले आंध्रप्रदेश, बिहार, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और उत्तराखंड शामिल हैं। इन राज्यों को सस्ते मकान बनाने के लिए शहर के मास्टर प्लान में परिवर्तन या सुधार, भवन निर्माण संबंधी मंजूरियों के लिए एकल खिड़की व्यवस्था, लेआउट की स्वीकृति के लए समयबद्ध क्लियरेंस प्रणाली, किराया कानूनों में संशोधन, अतिरिक्त लोर एरिया अनुपात की अनुमति और झोपड़ पट्टी का पुनर्विकास इत्यादि सुधार करने होंगे। ■

पूर्णता की ओर बढ़ रही है प्रधानमंत्री जन धन योजना

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) का वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए कम दूरी पर प्रधानमंत्री जन धन योजना की कैश-आउट सुविधा देने पर बल, पीएमजेडीवाई के अंतर्गत लगभग 18 करोड़ बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए। 1 सितम्बर 2015 तक 1,64,962 खाताधारकों ने ओवर ड्राफ्ट सुविधा का उपयोग किया, 2014-15 में नेटवर्क से 8227 शाखा तथा 21,197 एटीएम जुड़े

प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत उपलब्धि पूर्णता की ओर बढ़ रही है। बैंक खातों की प्रारंभिक मांग 7.5 करोड़ होने की आशा थी, लेकिन अब तक 18 करोड़ खाते खोले गए हैं। बैंकों द्वारा 22,000 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई है।

बैंकों को पीएमजेडीवाई योजना के अंतर्गत 5,000 रु. तक ओवर ड्राफ्ट सुविधा देने के निर्देश दिए गए हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार इस सुविधा के लिए आधार आवश्यक नहीं है। भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) से सभी बैंकों को संशोधित दिशानिर्देश जारी करने को कहा गया है। 1 सितम्बर 2015 तक 1,64,962 खाता धारकों ने ओवर ड्राट सुविधा का उपयोग किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस सम्बोधन में प्रधानमंत्री धन जन योजना की घोषणा की थी। यह योजना 28 अगस्त, 2014 को पूरे देश में लांच की गई।

पीएमजेडीवाई का वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए अब पीएमजेडीवाई का ध्यान खाते खोलने की तरफ से सुगम दूरी पर कैश-आउट सुविधा देने पर है।

कैश आउट सुविधा में सहायता देने के लिए पूरे देश में बैंकिंग नेटवर्क इस प्रकार होंगे:

- 31 मार्च 2015 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की 1,25,857 शाखाओं का नेटवर्क जिसमें से 48557 (38.58 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।
- 30 जून 2015 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की 1,84,221 एटीएम थी। इनमें से 91486 एटीएम ऑनसाइट एटीएम थीं।
- 2014-15 में नेटवर्क से 8227 शाखा तथा 21,197 एटीएम जुड़े।
- 08 अगस्त 2015 तक 1,26,857 बैंक मित्र तैनात किए गए।
- पीओएस (भारत में बैंकों द्वारा जारी डेबिट कार्ड तथा ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्ड) पर नकद निकासी की सीमा तीसरे से छठे टीयर के केन्द्रों में प्रतिदिन 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए दी गई है।
- वित्तीय समावेश का मूल उद्देश्य वंचित तथा निम्न आय समूह के लोगों को वहन करने योग्य लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बैंक प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों तथा मूल बचत बैंक जमा खातों (बीएसबीडी) पर एसएमएस/संदेश के शुल्क नहीं लगाते।
- बैंक शाखाओं का नेटवर्क, एटीएम, बैंक मित्र माइक्रो एटीएम से लैस होते हैं। मर्चेंट पीओएस की उपलब्धता रहती है। डेबिड कार्ड जारी किया जाता है तथा पीओएस पर नकद निकासी की सीमा बढ़ाने से सुगम दूरी पर उपभोक्ता नकद निकासी सुविधा ले सकते हैं। ■